एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट

2012-13

एन्ट्रिक्स
ANTRIX

निदेशक मंडल	डॉ. वी. एस. हेगड़े डॉ. वी. के. दधवाल श्री एस श्रीनिवासन (26.11.2012 तक) श्री पी. एस. वीरराघवन (26.11.2012 तक) श्री एस. के. शिव कुमार (24.8.2012 से 8.11.2012 तक) श्री ए. विजय आनंद (22.11.2012 से) श्री पी. जे. मैथ्यू (22.11.2012 से) श्री वी. कोटेश्वर राव (22.11.2012 से) श्री जॉन पी. जकारिया (22.11.2012 से) श्री ई. वसंता (22.11.2012 से) श्री एस. परमेश्वरन (22.11.2012 से) श्री रतन टाटा (7.6.2013 तक) श्री जमशेद गोदरेज (11.5.2013 तक) श्री अरुण बालकृष्णन (10.6.2013 से) श्री वाई. एस. मय्या (10.6.2013 से) प्रो. देवंग वी. कक्कड़ (10.6.2013 से) प्रो. जे. रामचंद्रन (10.6.2013 से)
प्रबन्धन दल:	
अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक	डॉ. वी. एस. हेगड़े
कार्यकारी निदेशक व निदेशक (व्यापार विकास)	श्री एस.परमेश्वरन
निदेशक (विशेष परियोजनाएँ)	श्रीमती गीता वरदन
निदेशक (प्रौद्योगिकी व सेवाएँ)	श्रीमती टी.एस.शोभा
निदेशक (प्रमोचन सेवाएं एवं मिशन)	श्री डी.राधाकृष्णन (26.11.2012 से)
उप निदेशक (सुदूर संवेदन ऑंकडा व सेवाएँ)	श्री पी.एम.बालामणिकवेलु (17.01.2013 तक)
वरिष्ठ प्रधान लेखा एवं आं.वि.स.	श्री जी. अलगेसन
संवैधानिक लेखा परीक्षक	मेसर्स ज्ञानोबा व भट्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स I फ्लोर, अण्णमलै आर्कडे नं. 45, I क्रास, विल्सन गार्डन होसुर मेन रोड बेंगलूर 560 027
बैंकर	केनरा बैंक आर.एम.वी. एक्स्टें. शाखा बेंगलूर 560 080 स्टेट बैंक आफ इंडिया डालर कॉलोनी शाखा बेंगलूर 560 054
पंजीकृत कार्यालय	अन्तरिक्ष भवन न्यू बी.ई.एल. रोड बेंगलूर 560 231

विषय सूची

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट	1
अ.जा / अ.ज.जा कार्यान्वयन	4
राजभाषा	4
सचिवालयीन अनुपालन प्रमाण-पत्र	10
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	13
लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट से संबंधित अनुबंध	15
भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	17
तुलन-पत्र	18
लाभ तथा हानि विवरण	19
तुलन-पत्र के भाग के नोट	20
लाभ एवं हानि संबंधी विवरण के भाग के नोट	25
लेखा संबंधी नीतिया	28
लेख के भाग के रूप में अन्य नोट	30
नकद प्रवाह विवरण	39

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

आपके निदेशक मण्डल को मार्च 31, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा के लेखापरीक्षित विवरण, लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की टिप्पणी सहित इक्कीसवीं वार्षिक रिपोर्ट को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कार्य निष्पादन संबंधी विशेषताएँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी घोर प्रतिस्पर्धा तथा दबावों के बावजूद अपने कार्य-निष्पादन में सुधार करने में सक्षम रही है। कम्पनी ने 1,295.28 करोड़ रुपये का टर्नओवर हासिल किया जो गत वर्ष की तुलना में 9% की वृद्धि दर्शाता है । गत वर्ष के दौरान 177.07 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष कर के पश्चात् लाभ 150.22 करोड़ रुपये था जो विशेष रूप से कम्पनी द्वारा सामना की गई असाधारण चुनौतियों को दर्शाता है । आपकी कम्पनी जो भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का वाणिज्यक अंग/कार्पोरेट फ्रन्ट है, देश के प्रौद्योगिक विकास में आगे रही है और एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर चुकी है । कंपनी के केंद्रित क्रियाकलाप मानव जीवन को समृद्ध बनाने हेतु संयोजकता एवं सूचना के क्षेत्र में योगदान करने से संबंधित हैं। आपकी कम्पनी आगामी वर्षों में अपना निष्पादन बेहतर करने की आशा रखती है और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है ।

आई.आर.एस. से संबंधित कार्यक्रम

आपकी कम्पनी विश्व-भर से विविध उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आई.आर.एस. उपग्रह श्रृंखला से प्राप्त आँकड़ों का विपणन कर रही है । अन्तर्राष्ट्रीय ग्राहकों द्वारा आई.आर.एस. सेवाओं की स्वीकृति प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है और इस वर्ष भी अच्छे परिणाम अंकित किये गये ।

फिलहाल आपकी कम्पनी कार्टोसैट-2, कार्टोसैट-1 एवं ओशनसैट-2 उपग्रहों से उपग्रह आँकडा विक्रय एवं सेवाएँ प्रदान कर रही है। रिसोर्ससैट-1 उपग्रह के पहले से स्थापित ग्राहकों के लिए सेवा की निरंतरता हेतु रिसोर्ससैट-2 उपग्रह के आँकडों की माँग की जा रही है। रिसोर्ससैट-2 आँकडा उत्पादों एवं सेवाओं के लिए बाजार प्रभावशाली ढंग से विकसित किया गया है और कई संभावित ग्राहक भी कतार में है। राडार प्रतिबिंबन उपग्रह (रिसैट-1) प्रयोक्ताओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है और वर्तमान प्रयोक्ताओं तथा नए ग्राहकों के साथ रिसैट-1 के आंकड़ो एवं सेवाओं के विपणन प्रारंभ किए जा रहे हैं।

आईआरएस समूह को विश्व-भर में भू प्रेक्षण आँकडा के विश्वसनीय स्रोत्र के रूप में स्वीकार किया गया है जिसकी, आश्वस्त निरंतरता मुख्य विशेषता रही है। इसके आँकडा उत्पादों की विविधता ने भी इसकी लोकप्रियता में योगदान दिया है। नये अन्तर्राष्ट्रीय भू केन्द्रों की स्थापना करने के अनुरोध भी प्राप्त हो रहे हैं।

प्रमोचन सेवाएं

आपकी कंपनी द्वारा इस अवधि के दौरान प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ग्राहक उपग्रह मिशनों में से एक एस्ट्रियम, फ्रांस के स्पॉट-6 उपग्रह का सफल प्रमोचन था। 712 कि.ग्रा. वजन वाले स्पॉट-6 उपग्रह को ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी एस एल वी), पी एस एल वी-सी21 में रखकर मुख्य मिशन के रूप में सितंबर 9, 2012 को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया। स्पॉट-6 के साथ-साथ ओसाका प्रौद्योगिकी संस्थान (ओ आई टी), जापान के प्रोइटर्स (15 कि.ग्रा. वजन वाले) नामक एक अन्य लघु उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया।

तदनंतर, फरवरी 25, 2013 को छः अंतरराष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों, यथा एम डी ए, कनाडा के सैफायर; माइक्रोसैट सिस्टम्स, कनाडा के नियोसैट; आस्ट्रिया के एम एल एस 8.1 एवं एन एल एस 8.2; डेनमार्क के एन एल एस 8.3 और यू के के स्ट्रैंड-1 को पी एस एल वी-सी20 मिशन में सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया।

संक्षेप में, वर्ष 2012-13 के दौरान 8 अंतरराष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों को एंट्रिक्स द्वारा सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया।

उपग्रह मिशन सहायक सेवाएँ

आपकी कम्पनी ने दूरमिति, दूरादेश, अनुवर्तन, परासन और अन्य संबंधित सेवाओं को विश्व के प्रतिष्ठित ग्राहकों को प्रदान करना जारी रखा है।

अन्तरण कक्षा सहायक सेवाएँ (टी.ओ.एस.एस.) और अन्य कक्षीय सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु, इन्टेलसैट के साथ किए गए करार के एक भाग के रूप में आपकी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मिशनों की सहायता करने के लिए तैयार है। एमसीएफ, हासन में के.ए.बैण्ड भू केन्द्र को इकोस्टार XVII उपग्रह के मिशन प्रचालन की सहायतार्थ उपयोग किया गया । 21.5 डिग्री पूर्व में डब्ल्यू 6 ए उपग्रह के लिए टी ओ एस एस सहायता प्रदान करने हेतु एम सी एफ स्थित के यू बैंड भू-केंद्र का उपयोग किया गया। यूरोप में सेवाएं प्रदान करने तथा उत्तरी अफ्रिका एवं मध्य पूर्व के क्षेत्रीय आवरण के लिए डब्ल्यू 6 ए यूटेल सैट के स्वामित्व वाला एक के यू बैंड उपग्रह है।

इस्ट्रैक केन्द्र के भू केन्द्रों का उपयोग केसैट तथा सीएनईएस मिशनों हेतु दूरमिती, अनुवर्तन तथा कमाण्ड (टीटीसी) सहायता

प्रदान करने के लिए भी किया जाता था। आपकी कम्पनी एमसीएफ एवं इस्ट्रैक में उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञता तथा अवसंरचना का उपयोग करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालकों एवं अन्तरिक्ष एजेन्सियों के लिए टीटीसी तथा अन्य सहयोगी सेवाएँ प्रदान करने के लिए विचार कर रही है।

उपग्रह प्रणालियां

आपकी कंपनी उपग्रह मंचों का विपणन करती रही है, जिसकी विरासत अच्छी तरह स्थापित है। आपकी कंपनी ने संवेदक विकास के लिए शैक्षिक संस्था को संवेदक ग्रेड सौर सेल प्रदान किए हैं और जर्मन अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए सूर्य संवेदकों (4 पी आई) की आपूर्ति हेतु आदेश प्राप्त किए हैं।

दूरसंचार प्रेषानुकर सेवाएं

विश्वव्यापी आर्थिक चुनौतियों के बावजूद उपग्रह क्षमता के लिए बढ़ती मांग के कारण उपग्रह प्रेषानुकर सेवाओं ने उपग्रह उद्योग की वृद्धि को जारी रखा है। आपकी कंपनी ने इस खंड से महत्वपूर्ण योगदान भी प्राप्त किया है और इस खंड से प्राप्त राजस्व में पिछले वर्ष के मुकाबले 6% की वृद्धि हुई है। यह दर्ज की गई वृद्धि डी टी एच सेवाओं, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं, आंकड़ा सेवाओं एवं मोबाइल टेलिफोनी, एच टी एस, एच डी टी वी एवं अवस्थिति प्रणालियों, सामरिक उपग्रह नौवहन तथा अंतरिक्ष संबंधी अन्वेषण पर सरकारी व्यय के कारण स्थिर रूप में प्राप्त हुई है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने इन्सैट उपग्रहों पर सभी ग्राहकों के साथ विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा यथा पुनरीक्षित संशोधित करारों एवं समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। 83 डिग्री पूर्व में अवस्थित जीसैट-10 अंतरिक्षयान के समायोजन से कक्षीय क्षमता में वृद्धि हुई है।

आपकी कंपनी ने संभावित विक्रेताओं, भारत में सेना के लिए उपयुक्त क्षमता वाले उपग्रहों, उनकी उपलब्धता की समयावधि एवं संबंधित वित्तीय पहलुओं की पहचान करते हुए विभाग की आवश्यकता हेतु विश्वव्यापी सार्वजनिक निविदा के माध्यम से एक आंकड़ा आधार का संकलन किया है।

आपकी कंपनी भारत में टी वी चैनलों की संख्या में वृद्धि, विगत वर्षों में भारतीय टी वी उद्योग की तेज रफ्तार वृद्धि के कारण उत्पन्न लगातार प्रेषानुकर की बढ़ती मांग से राजस्व में वृद्धि की आशा रखती है।

दौरों का विनिमय

पूर्व की तरह इस वर्ष के दौरान भी दौरों के विनिमय हुए हैं। इनसे वर्तमान संबंधों को मजबूत बनाने और परस्पर लाभ के लिए नए संबंध कायम करने में भी मदद मिली है। आपकी कंपनी आगामी वर्षों में अपने व्यापार संबंधी अवसरों को बढ़ाने के लिए आशान्वित है।

वित्तीय परिणाम

वित्तीय परिणाम	31.03.13 को समाप्त वर्ष के लिए (लाख रुपये में)	31.03.12 को समाप्त वर्ष के लिए (लाख रुपये में)
कुल आय	1,29,528.21	1,18,060.84
कुल व्यय	(104,015.74)	(93,568.89)
मूल्य ह्रास तथा कराधान से पहले लाभ	**25,512.47**	**24,491.95**
घटाए : मूल्य ह्रास व परिशोधन व्यय	(117.84)	(9.69)
घटाए : कराधन के लिए प्रावधान	(7,725.05)	(7,502.45)
जोड़िए : आस्थगित कर	37.41	118.56
पहले के वर्षों में आयकर हेतु अधिक/कम प्रावधान	-	-
वर्तमान वर्ष का अधिशेष	17,706.99	17,098.37
जोड़िए : पिछले वर्ष का अधिशेष	3.57	40.01
पुनर्विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	**17,710.56**	**17,138.38**
जेनरल रिजर्व को स्थानांतरित	13,560.00	13,160.00
प्रस्तावित लाभांश	3,542.00	3,420.00
कार्पोरेट लाभांश कर	601.97	554.81
तुलन पत्र को स्थानांतरित लाभ एवं हानि लेखा का अधिशेष	6.59	3.57
पुनर्विनियोजन का कुल	**17,710.56**	**17,138.38**

लाभांश :

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), के दिनांक 17.09.1996 के कार्यालय ज्ञापन सं.एफ/1(16)-ई II (ए), दिनांक 20.08.1998 के का.ज्ञा.सं.एफ.19(I)-ई-II (ए)/98 तथा दिनांक 13.06.2001 के सं.एफ.3(2)-बी (एस)/2001 और दिनांक 9.9.2002 के अ.शा.प.सं.3(67)-बी(एस)/2002 और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 17.06.2004 के अ.शा.पत्र सं.3(2)बी/एस/2003 और सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक मई 19, 2005 के अ.शा.पत्र सं.3(3)-बी (एस)/2005 द्वारा जारी किये गए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुपालन में आपका निदेशक मण्डल 100 लाख रुपये की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी पर 3542% (पिछले वर्ष 3420%) के लाभांश की सिफारिश करता है । यह मार्च 31, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए करोत्तर लाभ के 20% का प्रतिनिधित्व करता है ।

आगामी दृष्टिकोण

वर्तमान वित्त वर्ष के लिए वृद्धि की संभावना 6.1% है। सरकार विविध उपाय कर रही है और अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने तथा निवेशकों के विश्वास बढ़ाने हेतु विविध प्रयासों की घोषणा कर रही है। आगामी वर्ष के दौरान निर्यात में मजबूती का प्राक्कलन किया गया है और इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। यह आशा की जाती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना में निवेश वृद्धि की कुंजी होगी। आपकी कंपनी मूल्य संवर्धित सेवाओं, विदेशी उपग्रहों के लिए प्रमोचन सेवाएं, उत्पाद के विकास इत्यादि जैसे विशेष क्षेत्रों के लिए महान संभावनाएं देखती है। ये सारे शुभ संकेत हैं तथा आपकी कंपनी निकट भविष्य में अपने निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार की आशा रखती है।

निदेशकगण

श्री एस. के. शिवकुमार, निदेशक, आइजेक को अगस्त 24, 2012 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री ए. विजय आनंद, संयुक्त सचिव, अंतरिक्ष विभाग, श्री वी. कोटेश्वर राव, वैज्ञानिक सचिव, इसरो, श्री पी. जे. मैथ्यू, संयुक्त सचिव (वित्त), अं.वि., श्री जॉन पी. जकारिया, निदेशक (अनुसंधान एवं विकास), वी एस एस सी और श्री ई. वसंता, उप निदेशक, आइजेक को नवंबर 22, 2012 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री एस. परमेश्वरन को नवंबर 22, 2012 से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

नवंबर 8, 2012 को श्री एस. के. शिवकुमार का निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया। श्री एस. श्रीनिवासन और श्री पी.एस.वीरराघवन का निदेशक के रूप में कार्यकाल नवंबर 26, 2012 को समाप्त हो गया। श्री जमशेदजी गोदरेज का निदेशक के रूप में कार्यकाल मई 11, 2013 को समाप्त हुआ। श्री रतन टाटा का निदेशक के रूप में कार्यकाल जून 7, 2013 को समाप्त हुआ।

बोर्ड श्री एस. के. शिवकुमार, श्री एस. श्रीनिवासन, श्री पी. एस. वीरराघवन, श्री जमशेद गोदरेज और श्री रतन टाटा के द्वारा प्रदान की गई अमूल्य सेवाओं के लिए प्रशंसा व्यक्त करता है।

भारत सरकार ने श्री अरुण बालाकृष्णन, श्री वाई. एस. माया, प्रोफेसर देवंग खख्खर और प्रोफेसर जे. रामचंद्रन को एंट्रिक्स बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त किया है और उन्हें जून 10, 2013 से सहयोजित किया गया है।

प्रदर्शनियों में भागीदारी

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) के साथ मिलकर सितंबर 12 से 15, 2012 को बेंगलुरु अंतरिक्ष प्रदर्शनी 2012 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भारत और विदेश के अंतरिक्ष उद्योग के विविध महत्वपूर्ण हस्तियों ने भाग लिए।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

निदेशकों के उत्तरदायित्व के विवरण के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2 ए ए) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसरण में यह पुष्टि की जाती है कि :

i) 31.03.2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे की तैयारी में तात्विक विचलन के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है;

ii) निदेशकों ने वैसी लेखा नीतियों का चयन किया है तथा उनको एकरूपता से लागू किया है और वित्तीय वर्ष के अंत में तथा समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के बारे में कंपनी की सच्ची और सही स्थिति दर्शाने हेतु विवेकपूर्ण और बुद्धिमानी से निर्णय लिए हैं एवं आकलन किए हैं;

iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और धोखे का पता लगाने हेतु कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार लेखा संबंधी अभिलेखों के पर्याप्त अनुरक्षण हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

iv) निदेशकों ने चालू व्यवसाय के आधार पर 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे तैयार किए हैं;

कारपोरेट शासन

आपकी कंपनी भारत द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लागू कारपोरेट शासन व्यवहार का अनुपालन करती रही है।

लेखा परीक्षकगण

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखाकार ने पत्र सं. सीएवी/सीओवाई/केंद्र सरकार.एंट्रिक्स(1)(102) दिनांक जुलाई 30, 2012 के माध्यम से 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखे की लेखा परीक्षा करने हेतु मेसर्स ज्ञानोबा एवं भट्ट, चार्टर्ड एकांउटेन्ट्स, बेंगलूर को संवैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया। उनकी दिनांक 26 जून, 2013 की रिपोर्ट संलग्न है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए पत्र सं. 144 पीडीसीए/एमएबी-IV/वार्षिक लेखा/एंट्रिक्स/2013-14/1053 दिनांक 13 सितंबर, 2013 के माध्यम से भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणी संलग्न है। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक ने पत्र सं. सीए.वी/सीओवाई/केंद्रीय सरकार, एंट्रिक्स(1)/21 दिनांक जुलाई 29, 2013 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए मेसर्स ज्ञानोबा एवं भट्ट चार्टर्ड एकांउटेंट्स, बेंगलूर को संवैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है।

सचिवालयीन अनुपालन प्रमाण-पत्र :

श्री वी.पद्मनाभन, कम्पनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 383ए के प्रावधानों के अनुसरण में सचिवालयीन अनुपालन प्रमाण-पत्र संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

सावधिक जमा:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी ने जनता से किसी प्रकार की जमा को न आमंत्रित किया है और न ही लिया है।

कर्मचारियों का विवरण:

वर्ष के दौरान या उस वर्ष के किसी भाग में किसी भी कर्मचारी को, समय-समय पर यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ है।

आरक्षण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति एक थी। समूह 'क' (तकनीकी), समूह क (प्रशासनिक) तथा समूह ग (प्रशासनिक) में कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमशः 3,6 तथा 2 थी।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा का अर्जन और निर्गम:

कम्पनी (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट, में विवरणों का प्रकटन) नियम 1988 के साथ पठित कम्पनी अधिनियन 1956 की धारा 217(1)(ई) के अधीन ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन संबंधी दी जानेवाली सूचना शून्य है, क्योंकि कम्पनी ने प्रत्यक्ष रूप से न तो किसी ऊर्जा का उपयोग किया है और न ही किसी विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात किया है।

आपकी कम्पनी, जो अब तक इसरो के मुख्यालय भवन से कार्य कर रही थी, अब, एक नये कम्पनी कार्यालय से कार्य करने लगी है, जो कि कम्पनी की हरित पहल का एक अंग है।

राजभाषा कार्यान्वयन

भारत सरकार के नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी सभी स्तरों पर राजभाषा का प्रयोग क्रियान्वित करती रही थी।

वर्ष के दौरान, राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओ एल आई सी) का पुनर्गठन किया गया और नई समिति ने नीति बनाने हेतु बैठक की। वर्ष के दौरान, सक्षम प्राधिकारियों ने कंपनी में हिंदी के कार्यान्वयन की प्रगति का निरीक्षण किया। कंपनी ने दो कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया जिससे कार्मिकों ने आवश्यक कुशलता प्राप्त की और इससे राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने में मदद मिली।

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय (वास्तविक) निम्नानुसार है :

विदेशी मुद्रा अर्जन	राशि लाख में (₹)	राशि विदेशी मुद्रा
क) निर्यात के बाबत	76.78	यूएसडी 1,44,233.76 यूरो 1,89,525.77
ख) अन्य सेवाओं के बाबत	11,080.23	यूएसडी 38,46,151.17 यूरो 1,29,07,101.24
कुल	11,157.01	
विदेशी मुद्रा व्यय	**राशि लाख में (₹)**	**राशि विदेशी मुद्रा**
क) यात्रा के बाबत	7.13	यूएसडी 6,230.00 यूरो 1,730.00 एयूडी 4,180.00
ख) आयात लागत के बाबत	178.48	यूएसडी 3,28,788.00
ग) तकनीकी परामर्शिता लागत के बाबत	49,121.35	यूएसडी9,33,80,540.64
घ) अन्य सेवा लागत के बाबत	79.88	यूएसडी 1,52,725.46
कुल	49,386.84	

आभारोक्ति

आपके निदेशक, अपने उत्पाद एवं सेवाओं के ग्राहक तथा अन्य प्रयोक्ताओं से प्राप्त सहायता के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं और आगामी वर्षों में भी उनसे सहायता की आशा करते हैं। आपके निदेशक, अन्य सरकारी विभागों तथा एजेन्सियों, बैंकरों एवं उद्योगों से प्राप्त सहयोग और सहायता के लिए उनका भी आभार प्रकट करते हैं।

आपके निदेशक, अन्तरिक्ष विभाग, विविध इसरो केन्द्रों और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी के अधिकारियों एवं स्टाफ द्वारा की गई हार्दिक सहायता एवं योगदान, जिसने आपकी कम्पनी के सफल कार्यों की दिशा में अत्यधिक योगदान दिया है, के लिए भी आभार व्यक्त करते है।

निदेशक मंडल के लिए
एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(वी. एस. हेगड़े)
अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूर
तिथि : 13.09.2013

31 मार्च 2013 को समाप्त वित्त वर्ष से संबंधित निदेशकों के रिपोर्ट का परिशिष्ट

संवैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का जवाब
अपनी संप्रभु क्षमता में ठेका रद करने के केंद्र सरकार के नीतिगत निर्णय के पश्चात् मेसर्स देवास मल्टीमीडिया लिमिटेड द्वारा अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य महासंघ, पेरिस (आई सी सी) के समक्ष 1.60 बिलियन अमरीकी डालर (7004.80 करोड़ भारतीय रुपये) की राशि के लिए किए गए दावे के लेखा नोट की आकस्मिक देयता का नहीं बताया जाना।	कंपनी करार के अनुसार मेसर्स देवास मल्टीमीडिया लिमिटेड को मध्यस्थ नियुक्त करने हेतु निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय गई थी। कंपनी ने देवास द्वारा आई सी सी की कार्यवाही पर रोक लगाने हेतु निवेदन करते हुए अतिरिक्त नगर सिविल जज, बेंगलूर के समक्ष एक मध्यस्थता आवेदन और मुकदमा भी दायर किया था। भारतीय मध्यस्थता और निवारण अधिनियम, 1996 के अन्य प्रावधानों के अनुसार एंट्रिक्स को उपलब्ध समाधान के साथ पक्षपात किए बिना कंपनी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका खारिज कर दी गई है। इस आदेश के विरुद्ध एंट्रिक्स द्वारा दायर की पुनरीक्षा याचिका भी खारिज कर दी गई है। एंट्रिक्स ने अपने वकील के माध्यम से आई सी सी न्यायाधिकरण के समक्ष करार के अंतर्गत देयता के अधिकार क्षेत्र और सीमा का मुद्दा उठाया है, जो कि देवास को अपफ्रंट क्षमता आरक्षण शुल्क के रूप में 58.37 करोड़ रुपये की वापसी के बारे में है। मध्यस्थता याचिका (मध्यस्थता और निवारण अधिनियम, 1996 की धारा 9 के अंतर्गत) और अतिरिक्त नगर सिविल जज, बेंगलूर के समक्ष दायर सिविल याचिका अब भी लंबित है। चूंकि बाहरी प्रवाह की संभावना काफी कम है, इस दावे को आकस्मिक देयता के रूप में लेखा में नहीं बताया गया। मध्यस्थता के फैसले का अंतिम निपटान होने पर, यदि कुछ हुआ तो, फैसले को स्वीकार करने के वर्ष में उपयुक्त लेखा संबंधी उपचार किया जाएगा।

31 मार्च 2013 को समाप्त वित्त वर्ष से संबंधित निदेशकों के रिपोर्ट का परिशिष्ट

नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का जवाब
नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणी तुलन पत्र **आरक्षित और अधिशेष (नोट सं. क)** **93,601.59 लाख भारतीय रुपये** लोक उद्यम विभाग ने अप्रैल 2010 में जारी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) पर दिशानिर्देशों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सी एस आर बजट का सृजन अनिवार्य कर दिया। 2011-12 की वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा के दौरान दिए गए आश्वासन के बावजूद, कंपनी ने आई एन आर 9.96 करोड़ की निधि के सी एस आर बजट का सृजन नहीं किया है। इसके कारण से आरक्षित निधियों एवं अधिशेष को अधिक दिखया गया है और आई एन आर 9.96 करोड़ की राशि की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि कम दिखाई गई है।	केवल एक बोर्ड संकल्प (सी एस आर दिशानिर्देश के अनुच्छेद 5.1) के माध्यम से लाभ के प्रतिशत के रूप में प्रत्येक वर्ष लिए सी एस आर बजट/निधि का सृजन किया जाना है। तदनुसार, चूंकि बोर्ड पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही थी, कंपनी ने प्रभावी क्रियान्वयन और लेखा प्रबंधन के लिए सी एस आर संबंधी क्रियाकलापों का पालन करने की बात नए निदेशक मंडल के समक्ष ले जाने का आश्वासन दिया था। कंपनी के निदेशक मंडल का पुनर्गठन जून 2013 के दौरान ही पूरा हुआ। तदनंतर, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित दिशानिर्देश केवल अप्रैल 2013 के बाद से ही लागू है और सी एस आर के लिए प्रावधान पिछले वर्ष के मुनाफे पर आधारित होगा। नए कंपनी अधिनियम 2013 में सी एस आर के लिए संवैधानिक प्रावधान (धारा 135) और सी एस आर नीति में किए जाने वाले क्रियाकलापों के लिए अनुसूची VII को शामिल किया गया है, जिसका अनुपालन किया जाएगा।
वर्तमान देयताएं **अन्य वर्तमान देयताएं - आई एन आर 47313.72 लाख** उपर्युक्त देयता में जनवरी 2009 से मार्च 2013 तक आई एन आर 7.57 करोड़ रुपये की सेवा कर एवं उस पर 1.42 करोड़ रुपये के ब्याज की देयता शामिल नहीं है। इसके कारण 8.99 करोड़ रुपये की वर्तमान देयताएं, 7.57 करोड़ रुपये की वर्तमान परिसंपत्तियां कम दिखाई गई है और 1.42 करोड़ रुपये का अधिक लाभ दिखाया गया है।	सेवा कर विभाग की आंतरिक लेखा परीक्षा दल ने 19.03.2013 को ही अपने प्रारंभिक लेखा परीक्षा संबंधी अवलोकन जारी किए और कंपनी की लेखा पुस्तिका में इस तिथि से पूर्व 8.99 करोड़ रुपये की देयता नहीं थी। चूंकि, यह कानून की व्याख्या का प्रश्न था, कंपनी ने कानूनी सलाह मांगी और वह 09.05.2013 को ही प्राप्त हुई तथा इसीलिए, 7.57 करोड़ रुपये की सेवा कर देयता 09.05.2013 को ही बनी। कंपनी ने अपने आप 29.05.2013 को उस तिथि तक अर्जित ब्याज सहित अपनी देयता निपटा ली। लेखा मानक-ए एस-4 के पैरा 8.3 से 8.4 और 15 (तुलन पत्र तिथि के बाद आकस्मिकताएं एवं घटनाएं) के अनुसार यदि ऐसी घटनाएं तुलन पत्र तिथि को विद्यमान स्थिति से मेल नहीं खाती हैं तो तुलन पत्र तिथि के बाद की घटनाओं के लिए परिसंपत्तियों एवं देयताओं का समायोजन उचित नहीं है। कंपनी के विचार में तुलन पत्र की तिथि के दिन 8.99 करोड़ रुपये की देयता स्वीकार करने की स्थिति नहीं थी। तथापि, विभाग को भुगतान किया गया सेवा कर ग्राहकों से पूर्णतः वसूली योग्य है। इसलिए 31 मार्च, 2013 की लेखा पुस्तिका में देयता और परिसंपत्तियों का कोई समायोजन नहीं किया गया।

कर के पश्चात लाभ (करोड़ रुपयों में)

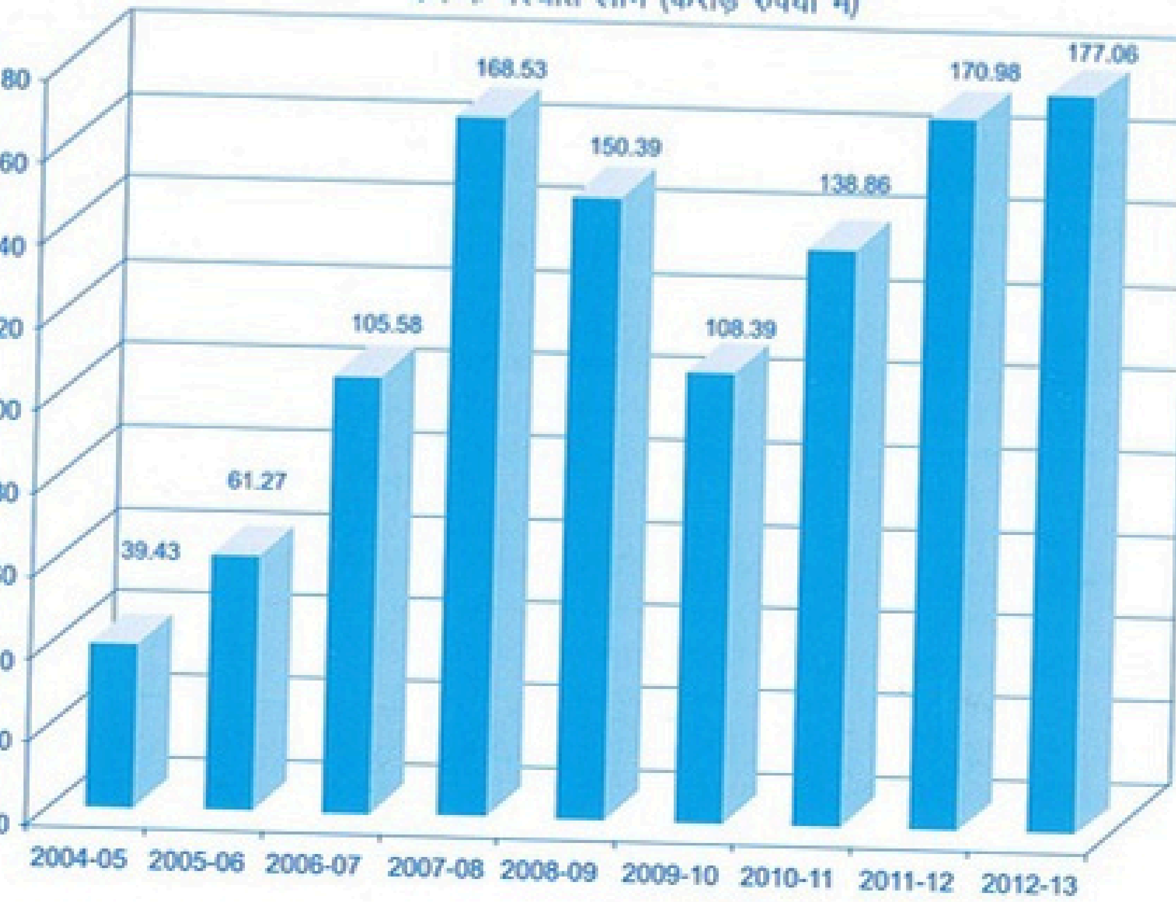

प्रदत्त शेयर पूंजी के प्रतिशत के रूप में लाभांश

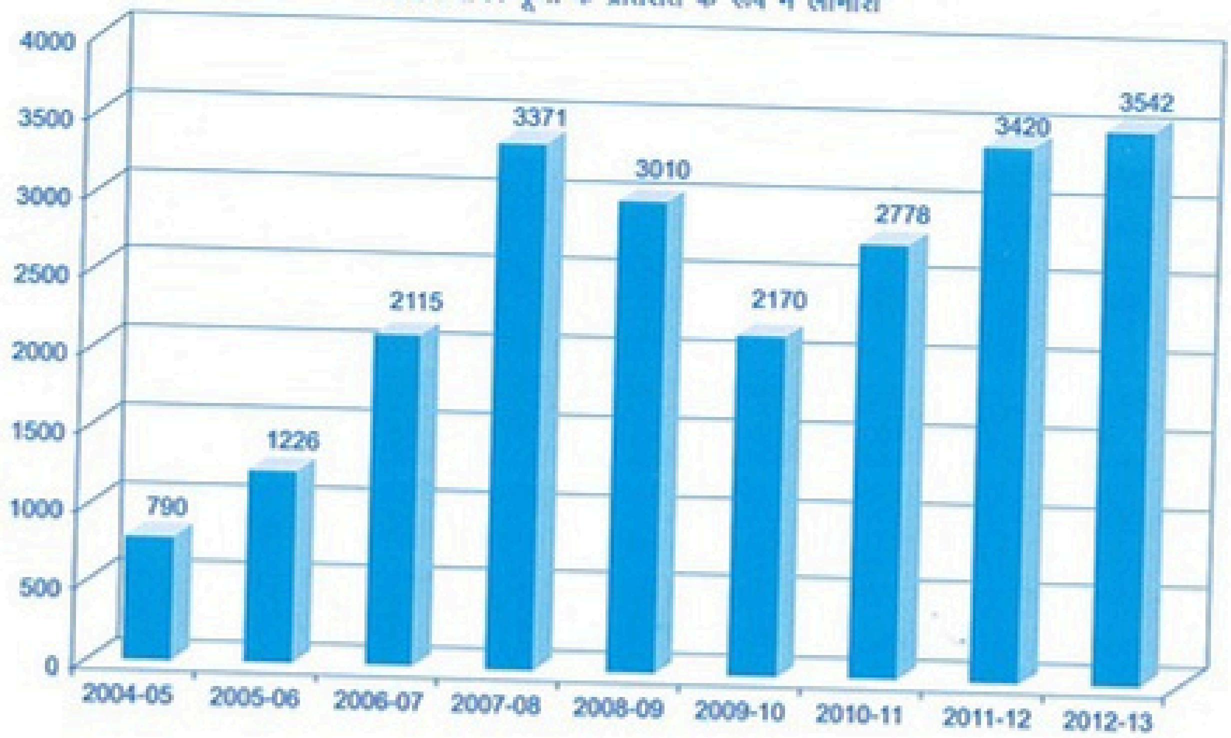

राजस्व के प्रतिशत के रूप में व्यय

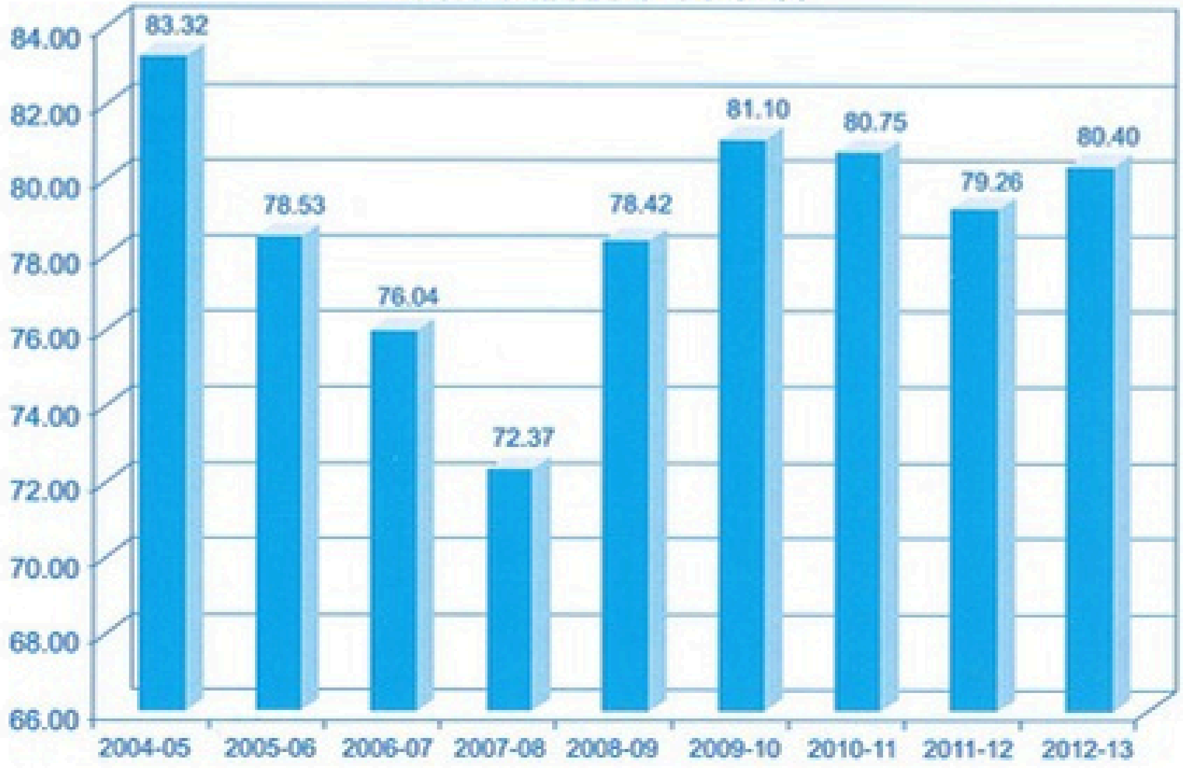

प्रदत्त पूंजी के प्रति रुपये का निवल मूल्य (रुपयों में)

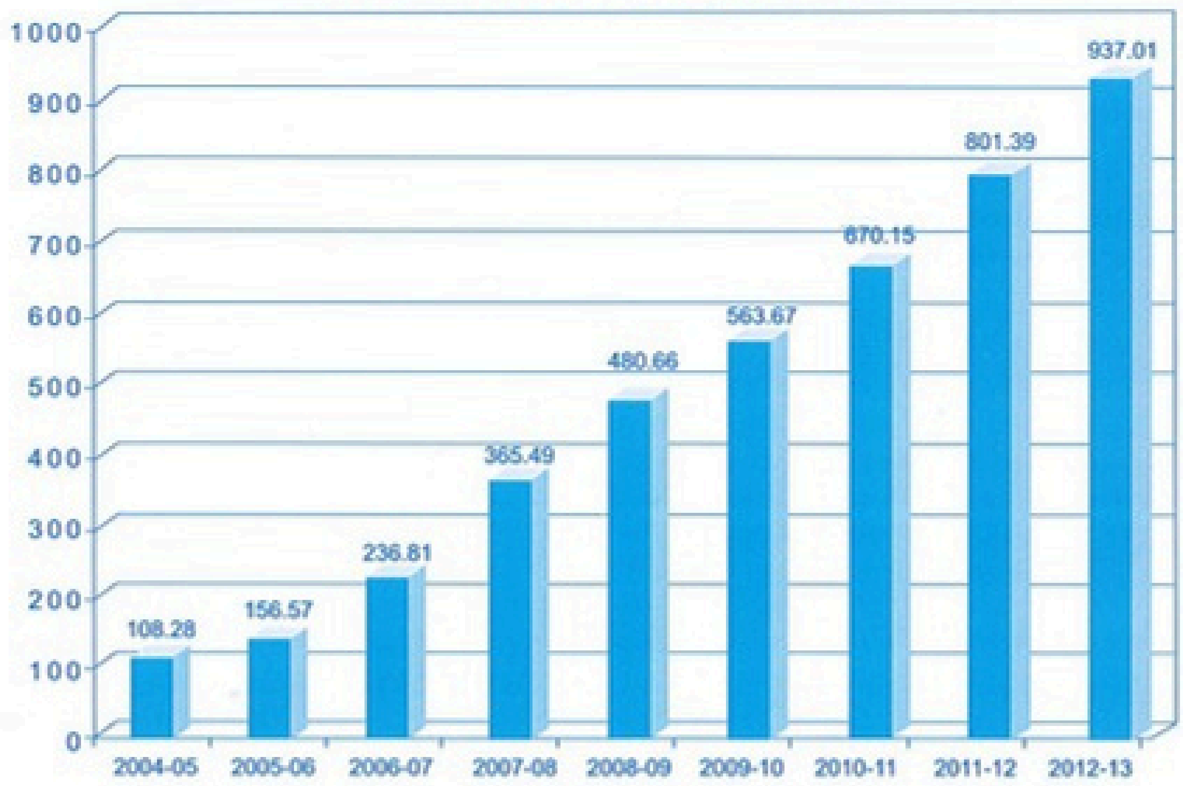

अनुपालन प्रमाण-पत्र

पंजीकरण सं. : U85110KA1992GOI13570
प्राधिकृत पूँजी : रु 5 करोड़
प्रदत्त पूंजी : रु 1 करोड़

सेवा में,
सदस्य
एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड
अन्तरिक्ष भवन
न्यू बी.ई.एल. रोड के पास
बेंगलूर-560231

मैंने एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत अपेक्षित रजिस्टर, रिकार्ड, पुस्तकें और कागजात तथा उसके तहत बनाये गये नियम और कम्पनी के ज्ञापन एवं अंतर्नियम में निहित प्रावधानों की जाँच की है। मेरी राय और जानकारी में और मेरे द्वारा की गई जाँच के अनुसार और कम्पनी, इसके अधिकारियों एवं एजेन्टों द्वारा मुझे दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, मैं प्रमाणित करता हूँ कि उक्त वित्त वर्ष के संबंध में:

1. कम्पनी द्वारा इस प्रमाण-पत्र के अनुबंध 'क' में उल्लिखित सभी रजिस्टर अधिनियम और उसके तहत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार रखे गये हैं और सभी प्रविष्टियाँ उनमें विधिवत् रिकार्ड की गई हैं।
2. कम्पनी ने, इस प्रमाण्-पत्र के अनुबंध 'ख' में उल्लिखित फार्म एवं रिटर्न (रिपोर्ट) को कम्पनी रजिस्ट्रार के पास अधिनियम तथा उसके तहत बनाये गये नियमों के अधीन निर्धारित समय के भीतर विधिवत् जमा कराई हैं।
3. यह कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है, जो भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है । इसके पास न्यूनतम निर्धारित प्रदत्त पूँजी है और उक्त वित्त वर्ष के दौरान इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या दो थी और जाँचाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने
   i) अपने शेयर अथवा डिबेंचर खरीदने हेतु लोगों को आमंत्रित नहीं किया; और
   ii) न ही कोई जमा आमंत्रित अथवा स्वीकार की है ।
4. निदेशक मण्डल की जून 27, 2012, अगस्त 30, 2012, दिसंबर 19, 2012 और मार्च 26, 2013 को विधिवत् चार बैठकें आयोजित की गई और इन बैठकों के संबंध में सूचनाएँ दी गई थीं तथा जारी किए गए परिपत्र, संकल्पों सहित बैठक की कार्यवाहियों को सही ढंग से रिकार्ड किया गया और इस उद्देश्य हेतु रखी कार्यवृत्त-पुस्तका में हस्ताक्षर किए गए।
5. कम्पनी को वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सदस्यों अथवा डिबेंचर की रजिस्टर बन्द करना अपेक्षित नहीं था ।
6. 31.3.2012 को समाप्त वित्त वर्ष की महा सभा की बैठक कम्पनी के सदस्यों को विधिवत् सूचित करते हुए सितंबर 26, 2012 को हुई और बैठक में पारित किए गए संकल्पों को, इस हेतु रखी कार्यवृत्त-पुस्तिका में विधिवत् दर्ज किया गया।
7. वित्तीय वर्ष में कोई असाधारण महासभा नहीं बुलाई गई।
8. कम्पनी के सरकारी कम्पनी होने के नाते, उस पर दि.16.7.1985 की सरकारी अधिसूचना सं.जी.एस.आर.581 (स्था.) के द्वारा अधिनियम की धारा 295 लागू नहीं होती ।
9. कम्पनी ने अधिनियम की धारा 297 में विनिर्दिष्ट संविदाओं के संदर्भ में, उक्त धारा के अंतर्गत आने वाली किसी संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं ।
10. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 301 के अनुसार रखे गये रजिस्टर में कम्पनी को कोई प्रविष्टि कराना अपेक्षित नहीं था।
11. चूँकि अधिनियम की धारा 314 की परिधि में आने वाली कोई घटना नहीं हुई, कम्पनी ने निदेशक मण्डल, सदस्यों अथवा केन्द्र सरकार से कोई मंजूरी प्राप्त नहीं की है।
12. कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान शेयर प्रमाण-पत्र की कोई दूसरी प्रति जारी नहीं की है।
13. कम्पनी ने:
    i) वित्तीय वर्ष के दौरान कोई प्रतिभूति हस्तांतरित नहीं की है।
    ii) घोषित लाभांश की राशि, इस उद्देश्य हेतु खोले गये एक अलग बैंक खाते में जमा करा दी है और यह लाभांश की राशि ऐसे लाभांश के घोषित होने के दिनांक से पाँच दिनों के अंदर जमा कराई है।
    iii) घोषणा के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के अंदर सभी सदस्यों को लाभांश का भुगतान कर दिया है।
    iv) कम्पनी को अप्रदत्त लाभांश, वापस देने योग्य आवेदन राशि, देय जमा, देय डिबेंचर और उस पर प्राप्त ब्याज जिनका कि अभी तक दावा नहीं किया गया, या जिनका निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को सात वर्ष

की अवधि तक भुगतान नहीं किया गया हो, के आवेदनों के लिये कोई धन-राशि अंतरित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि ऐसी कोई राशि कम्पनी के पास नहीं है।

v) अधिनियम की धारा 217 के अपेक्षित प्रावधानों का विधिवत् अनुपालन किया है ।

14. कम्पनी के निदेशक मण्डल का विधिवत् गठन किया गया है और आकस्मिक रिक्तियों को भरने हेतु निदेशकों, अपर निदेशकों, वैकल्पिक निदेशकों तथा निदेशकों की नियुक्तियां विधिवत की गई हैं।

15. अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में वितीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने पूर्णकालिक निदेशक को नियुक्त किया है।

16. वितीय वर्ष में कम्पनी ने कोई एकल-विक्रेता एजेन्ट नियुक्त नहीं किया है ।

17. कम्पनी ने अतिरिक्त आँकड़ों के प्रकाशन के संबंध में अधिनियम के भाग II, अनुसूची VI के प्रावधानों में संशोधन करने हेतु कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211(4) के अनुसरण में केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है ।

18. अधिनियम तथा उनके तहत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में निदेशकों ने अन्य फर्मों / कम्पनियों में अपनी अभिरुचि निदेशक मण्डल के सामने प्रकट की है ।

19. कम्पनी ने वितीय वर्ष के दौरान कोई भी शेयर/डिबेंन्चर/अन्य प्रतिभूतियाँ जारी नहीं की हैं ।

20. वितीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई भी शेयर वापस नहीं खरीदे हैं ।

21. वितीय वर्ष में किसी भी अधिमानी शेयर अथवा डिबेन्चर के प्रति क्षतिपूर्ति नहीं की गई ।

22. ऐसे कोई, लेन-देन नहीं हुए कि कम्पनी को लाभांश के अधिकार, शेयर के अधिकार को स्थगित रखने तथा बोनस शेयरों के शेयर हस्तांतरण के पंजीकरण लंबित रखने की कोई आवश्यकता पड़े ।

23. कम्पनी ने वितीय वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 58ए के प्रावधानों के अधीन आने वाले किसी भी असुरक्षित ऋण सहित किसी भी प्रकार की जमा न आमंत्रित की है न ही स्वीकार की है ।

24. समीक्षाधीन वितीय वर्ष के दौरान, कम्पनी के द्वारा कोई राशि उधार नहीं ली गई है।

25. कम्पनी ने किन्हीं अन्य कार्पोरेट निकायों से किसी भी प्रकार का ऋण एवं निवेश अथवा अग्रिम न लिया है और न ही कोई गारंटी या कोई प्रतिभूति दी है, और परिणामस्वरूप इस उद्देश्य हेतु रखी रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है ।

26. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के एक राज्य से दूसरे में अवस्थिति के संबंध में ज्ञापन-पत्र के प्रावधानों में कोई फेर-बदल नहीं किया है।

27. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थित पंजीकृत कार्यालय की स्थिति के संबंध में ज्ञापन-पत्र के प्रावधानों में कोई फेर-बदल नहीं किया है।

28. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी के लक्ष्य के संदर्भ में ज्ञापन-पत्र के प्रावधानों में कोई फेर बदल नहीं किया है।

29. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी की शेयर पूँजी के संबंध में ज्ञापन-पत्र के प्रावधानों में कोई फेर बदल नहीं किया है ।

30. वितीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपनी संस्था के अंतर्नियम में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

31. वर्ष के दौरान 1.87 लाख रुपये के सेवा कर की मांग करते हुए कंपनी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, जिसका कंपनी ने भुगतान कर दिया है। कंपनी के विरुद्ध कोई अभियोग नहीं चलाया गया और वितीय वर्ष के दौरान कंपनी पर कोई जुर्माना एवं दंड अथवा अन्य कोई सजा नहीं लगाई गई है।

32. वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने कर्मचारियों से कोई प्रतिभूति जमा प्राप्त नहीं की है।

33. कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

दिनांक : 19 जून, 2013
स्थान : बेंगलूर

हस्ता/-
नाम: वी.पद्मनाभन
सी.पी. सं.6283

अनुबंध क

संवैधानिक पंजियाँ

1. धारा 150 के तहत सदस्यों की पंजी
2. धारा 193 के तहत मण्डल के बैठक की कार्यवृत पुस्तिका
3. धारा 193 के तहत महासभा की कार्यवृत्त पुस्तिका
4. धारा 303 के तहत निदेशकों की पंजी
5. धारा 372ए के तहत निवेश की पंजी
6. धारा 301 के तहत संविदाओं की पंजी

अन्य पंजियाँ

1. निदेशकों की उपस्थिति पंजी
2. हस्तांतरणों की पंजी

अनुबंध ख

31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी रजिस्ट्रार, कर्नाटक के पास कम्पनी द्वारा दायर किये गये फार्म और रिटर्न

क्र. सं.	दर्ज दस्तावेज	धारा के तहत	घटना का उद्देश्य तथा दिनांक	दर्ज कराने का दिनांक	पावती सं.	क्या समय पर भरे गये
1.	फार्म 23 ए सी	220	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा	15.01.13	क्यू05903455	हां
2.	फार्म 66	383ए	31 मार्च, 2012 समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन प्रमाण पत्र	16.10.12	पी90508755	हां
3.	फार्म 20 बी	159	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न	22.11.12	क्यू01152859	हां
4.	फार्म 32	303	डॉ. आर. आर. नवलगुंद का त्यागपत्र	31.07.12	बी44448553	नहीं
5.	फार्म 32	303	श्री एस. श्रीनिवासन की नियुक्ति	31.07.12	बी44448884	हां
6.	फार्म 32	303	श्री एस. के. शिवकुमार की नियुक्ति	23.09.12	बी58121203	हां
7.	फार्म 32	303	श्री एस. के. शिवकुमार का त्यागपत्र	20.11.12	बी62082029	हां
8.	फार्म 32	303	श्री एस. श्रीनिवासन एवं श्री पी. एस. वीरराघवन के त्यागपत्र	07.12.12	बी63310403	हां
9.	फार्म 32	303	निदेशक के रूप में श्री ए. विजय आनंद, श्री पी. जे. मैथ्यू, श्री वी. कोटेश्वर राव, श्री एस. परमेश्वरन, श्री ई. वसंता और श्री जॉन पी. जकारिया की नियुक्ति	17.12.12	बी63977854	हां

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
मेसर्स एंट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेट के सदस्यों
बैंगलूर

वित्तीय विवरणी पर रिपोर्ट

हमने मेसर्स एंट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड 'कंपनी' की 31 मार्च 2013 के संलग्न तुलनपत्र तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि लेखा एवं नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना की लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 ('अधिनियम') की धारा 211 की उप-धारा (3सी) में वर्णित लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाहों की सच्ची और सही स्थिति दर्शाते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए महत्वपूर्ण डिजाइन, क्रियान्वयन तथा आंतरिक नियंत्रण शामिल है जो कि एक सच्ची और सही स्थिति दर्शाते हैं और ये धोखा अथवा त्रुटि के कारण होने वाले तथ्यात्मक गलत विवरण से मुक्त हैं।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स संस्था द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा आयोजित की। उन मानकों के अनुसार हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक आवश्यकताओं को पूरा करें और क्या वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गलत विविरण से मुक्त हैं इसके लिए विवेकपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखा परीक्षा का आयोजन और निष्पादन करें।

किसी लेखा पीरक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरण के बारे में लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। धोखा अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक रूप से गलत विवरणों के जोखिम के आकलन सहित चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर हैं। वैसे जोखिमों के आकलन करने में लेखा परीक्षक उन परिस्थितियों में उचित लेखा परीक्षा की प्रक्रियाओं का डिजाइन करने हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी और अच्छी प्रस्तुति हेतु महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है। किसी लेखा परीक्षा में उपयोग में लाई गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा लेखा संबंधी आकलनों की विवेकशीलता तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य लेखा परीक्षा विचार हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

1. **आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है :**

   क) अपनी संप्रभु क्षमता में केंद्रीय सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार ठेके के रद्द किए जाने के पश्चात् अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य महासंघ, पेरिस (आई सी सी) के समक्ष मेसर्स देवास मल्टीमीडिया लिमिटेड द्वारा किए गए दावे के संबंध में 1.60 बिलियन अमरीकी डालर (7004.80 करोड़ भारतीय रुपये) की राशि के बारे में लेखा संबंधी नोट में आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण नहीं करना।

   ख) नोट सं. 8 एवं 9 - 373.21 करोड़ रुपये के विवादास्पद के-वैट और सी एस टी के संबंध में है।

   ग) नोट सं. 10 - 1.06 करोड़ रुपये के विवादास्पद सेवाकर के संबंध में है।

   घ) नोट सं. 19 - विविध कर्जदार, विविध लेनदार, वसूली योग्य अग्रिम तथा अन्य देयताओं के शेष की पुष्टि की अनुपलब्धता के संबंध में है।

   ङ) नोट सं. 20 - वर्ष के अंत में डी ओ एस/इसरो के खातों में बचे हुए शेष के संबंध में है जिसकी अभी डी ओ एस द्वारा पुष्टि की जानी है।

2. **मेसर्स देवास मल्टीमीडिया लिमिटेड के साथ तय किए गए ठेके के अनुसार नियत तारीख के अंदर पूर्ण प्रचालनीय उपग्रह को पट्टे पर देने की क्षमता में असफलता हाने पर तुलन-पत्र की तारीख में विलंबित सुपुर्दगी जुर्माना के रूप में यूएस $ 5 मिलियन (21.89 करोड़ रुपए) की निर्धारित क्षति के लिए उत्तरदायी होने के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। प्रबंधन की राय में वर्तमान में कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मध्यस्थता कार्यवाही से संबंधित मामला न्यायाधीन है तथा इसे आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।**

विचार

हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारे विचार में और हमें प्राप्त सूचना निम्न प्रकार है :

1. **अनुबंध में किए गए अवलोकन का संदर्भ नीचे पैराग्राफ - 1 में दिया गया है;**

II. **उपर्युक्त पैराग्राफ 2 में वर्णन के अनुसार परिनिर्धारित नुकसानी के बाबत 21.89 करोड़ रुपये की सीमा तक लाभ एवं रिजर्व को वास्तविकता से ज्यादा और देयताओं को वास्तविकता से कम बताया गया है;**

III. **उपर्युक्त पैराग्राफ 1 की टिप्पणियों, लाभ, रिजर्व, परिसंपत्तियों और देयताओं पर उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।**

वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार अपेक्षित तरीके से सूचना प्रदान करते हैं और भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतो के अनुसार सही तथा सच्ची स्थिति दर्शाते हैं :

(क) 31 मार्च, 2013 को कंपनी की स्थिति के बारे में तुलन पत्र के मामले में

(ख) लाभ और हानि के विवरण के मामले में वर्ष की समाप्ति पर उसी तिथि को लाभ

(ग) नकद प्रवाह विवरण के मामले में वर्ष की समाप्ति पर उसी तिथि को नकद प्रवाह

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 227 की उप-धारा (4ए) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी तथा कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा यथापेक्षित हम अपने आदेश के पैरा 4 एवं 5 में निर्दिष्ट बातों पर अनुबंध में एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

2. अधिनियम की धारा 227 (3) द्वारा अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) हमने सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो कि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा की दृष्टि से अनिवार्य थे,

(ख) हमारा मानना है कि कंपनी द्वारा नियम की अपेक्षा के अनुसार लेखा पुस्तिकाएं सही प्रकार से रखी गई हैं जैसा कि पुस्तिकाओं की जांच से पता चलता है,

(ग) तुलन पत्र, लाभ और हानि के विवरण के बारे में यह रिपोर्ट लेखा पुस्तिका से मेल खाती है,

(घ) हमारे विचार में, तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा एवं नकद प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3सी) में वर्णित लेखा मानकों के अनुसार हैं,

(ङ) 31 मार्च, 2013 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर और निदेशक मंडल द्वारा दर्ज रिकार्ड के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उप-धारा (1) खंड (छ) के अनुसार निदेशकों में से किसी को भी निदेशक के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु 31 मार्च, 2013 को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है।

कृते ज्ञानोबा व भट्ट
चार्टर्ड एकाउंटेन्टस
फर्म पंजीकरण सं. 000939एस

हस्ता/-
(के. आर. ज्ञानोबा)
भागीदार
सदस्यता सं. 23137

स्थान : बैंगलूर
तिथि : 26.06.2013

हमारी समान तिथि की रिपोर्ट के पैरा 1 में वर्णित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

i) स्थायी परिसंपत्तियों के मामले में

क) कंपनी ने स्थायी परिसंपत्तियों की परिमाणात्मक विवरण और स्थिति सहित संपूर्ण विवरण को दर्शाने हेतु समुचित रूप में रिकार्ड रखा है।

ख) हमें दी गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा गठित समिति द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों की भौतिक जांच की गई है। हमारे विचार में जांच की आवृति संगत है। हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार जांच के दौरान कोई तात्विक विसंगतियां नहीं पाई गई।

ग) वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी स्थायी परिसंपत्ति के किसी बड़े भाग को नहीं हटाया और इसलिए यह खंड लागू नहीं होता।

ii) कंपनी के पास कोई संपत्ति सूची नहीं है। अतः खंड (ii) (क), (ख) एवं (ग) लागू नहीं होते हैं।

iii) कम्पनी ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचित कम्पनियों, फर्मों तथा अन्य पार्टियों से न ही सुरक्षित/असुरक्षित ऋण लिया है और न ही दिया है। अतः इस खण्ड के अधीन आने वाले मामलों पर टिप्पणी करने का प्रश्न नहीं उठता।

iv) हमारे विचार में और हमें दी गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, स्थाई परिसम्पत्तियों के क्रय तथा माल की बिक्री और सेवाओं के संबंध में कम्पनी के स्वरूप तथा उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण कार्यप्रणाली विद्यमान है। हमारे विचार में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है।

v) हमें दी गई सूचना के अनुसार धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित पंजी में की जाने वाली प्रविष्टि की अपेक्षा के तहत कोई लेन-देन नहीं हुआ है। इसलिए खंड (v) (ख) के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

vi) अभिलेख के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना के अनुसार कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है।

vii) हमारे विचार में, कम्पनी के पास कम्पनी के स्वरूप तथा उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली उपलब्ध है।

viii) केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के तहत लागत का रिकार्ड रखना निर्धारित नहीं किया है।

ix) क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी जहां कहीं भी लागू हो उस अवधि के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, उप कर और अन्य सांविधिक बकाये सहित गैर विवादित सांविधिक बकायों को सामान्यः नियमित रूप मे जमा कराया है और लेखा परीक्षा वाले वर्ष के दौरान भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ख) हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, सेवा कर, उपकर की कोई देयता नहीं है, जिन्हें किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है। फिर भी, 01.04.2005 से 31.03.2010 की अवधि के लिए के-वी.ए.टी एवं सी.एस.टी. के संबंध में जो 373.21 करोड़ रुपये का कर्नाटक वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा माँग की गई थी, वह विवाद के अधीन है तथा मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के अधीन लम्बित है। दंड सहित 1.06 करोड़ रुपये के सेवा कर के लिए बड़े कर भुगतान करने वाले यूनिट द्वारा उठाई गई माँग को सीमा शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण (सी.ई.एस.टी.ए.टी.), बेंगलुर के समक्ष अपील की गई है, जिसे लेखा नोट सं. 10 के अन्य नोट के भाग में विस्तृत रूप से दिया गया है।

x) 31.03.2013 के अनुसार, कम्पनी में कोई संचयित हानि नहीं हुई और कम्पनी को हमारे लेखा-परीक्षाधीन वित वर्ष व पिछले वित वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है।

xi) हमारी लेखा परीक्षा की प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी पर किसी भी वित्तीय संस्था अथवा बैंक का कोई बकाया नहीं है।

xii) हमें प्रदान की गई सूचना तथा हमारी जांच के अनुसार कंपनी ने शेयर, डिबेंचर तथा अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी

रख कर प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण तथा अग्रिम मंजूर नहीं किया है और इसलिए आदेश का खंड (xii) इस कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xiii) हमारे विचार से कम्पनी चिट फंड या एक निधि या एक पारस्परिक लाभ निधि/सोसायटी नहीं है। अत: कम्पनी पर खंड (xiii) का प्रावधान लागू नहीं होता।

xiv) कम्पनी किसी भी तरह के शेयर, प्रतिभूति, डिबेंचर तथा अन्य निवेश के सौदे या व्यापार नहीं कर रही है। तदनुसार, खण्ड (xiv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

xv) प्रबंधन द्वारा हमें दी गयी सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने अन्य लोगों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर कोई गारंटी नहीं दी है।

xvi) हमें दी गयी सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने कोई आवधिक ऋण नहीं लिया है।

xvii) हमारे द्वारा की गई नकद प्रवाह विवरण और रिकार्डों की जांच तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार समग्र रूप मे इस अवधि के दौरान प्रथम दृष्टया अल्पावधि के लिए प्राप्त निधियों का दीर्घावधि निवेश हेतु उपयोग नहीं किया गया है।

xviii) कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए पंजी में पार्टियों एवं कंपनियों को अधिमानत: किसी शेयरों का आबंटन नहीं किया है और तद्नुसार आदेश के खंड (xviii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xix) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नही की है और इसीलिए आदेश का खंड (xix) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xx) कंपनी ने रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से किसी धन का अर्जन नहीं किया है और इसीलिए आदेश का खंड (xx) लागू नहीं होता है।

xxi) हमारी जानकारी और विश्वास के आधार पर तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कोई धोखा नहीं देखा अथवा पाया गया है।

कृते ज्ञानोबा व भट्ट
चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स
फर्म पंजीकरण सं. 000939एस

हस्ता/-
(के. आर. ज्ञानोबा)
भागीदार
सदस्यता सं. 23137

स्थान : बैंगलूर
तिथि : 26.06.2013

दिनांक 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लि., बेंगलूर के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणी

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलूर के वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 1956 में विनिर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य ढाँचे के अनुसार तैयार करना कम्पनी के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के तहत् भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त संवैधानिक लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारी अपने व्यावसायिक निकाय, भारतीय चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट्स संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट लेखा-परीक्षा मानक के अनुसार स्वतंत्र रूप से लेखा-परीक्षा करते हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के तहत् इन वित्तीय विवरणों पर अपना विचार व्यक्त करना है। उनके दिनांक 26 जून, 2013 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में ऐसा करने के बारे में उल्लेख है।

मैंने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ख) के तहत् भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखा परीक्षक की तरफ से 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलूर के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा-परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा संवैधानिक लेखापरीक्षकों के कार्य संबंधी कागज़ात प्राप्त किये बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है और प्राथमिक रूप से यह संवैधानिक लेखापरीक्षकों और कम्पनी के कार्मिकों से पूछताछ और चयनित कुछ लेखाविधि रिकार्डों तक ही सीमित है।

हमारी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के तहत् मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें उजागर करना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आई है और जो मेरी समझ में आई है और जो मेरी समझा में वित्तीय विवरणें तथा इससे संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर जानकारी प्राप्त करने हेतु आवश्यक हैं।

तुलन पत्र

आरक्षित एवं बचत (नोट सं.क) ₹93,601.59 लाख

सार्वजनिक उद्यम विभाग ने अप्रैल 2010 में कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व पर जारी निर्देशों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सी.एस.आर. बजट के सृजन को अनिवार्य बनाया । 2011-12 के वार्षिक लेखा की लेखापरीक्षा में दिए गए आश्वासन के बावजूद कंपनी ने ₹9.96 करोड़ राशि की कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) निधि का सृजन नहीं किया है ।

इसकी वजह से आरक्षित एवं बचत की अति विवरण तथा ₹ 9.96 करोड़ राशि को कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व निधि का अति विवरण हुआ ।

चालू प्रतिदेयताएँ

अन्य चालू प्रतिदेयताएँ - ₹47313.72 लाख

उपरोक्त राशि में जनवरी 2009 से मार्च 2013 की अवधि के लिए ₹7.57 करोड और ₹1.42 करोड़ पर ब्याज के सेवा कर प्रतिदेयता शामिल नहीं हैं । इसकी वजह से ₹7.99 करोड की चालू प्रतिदेयताओं, ₹7.57 करोड़ की चालू परिसम्पत्तियों की न्यूनविवरण तथा ₹1.42 करोड़ के लाभ का अतिविवरण हुआ है ।

भारत के नियंत्रक एवं लेखा परिक्षक के लिए
एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(अत्रेयी दास)
प्रधान निदेशक, वाणिज्य लेखा परीक्ष एवं पदेन सदस्य,
लेखापरीक्षा बोर्ड-IV

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 13.09.2013

विस्तृत वित्तियाँ

31.03.2013 के अनुसार तुलन पत्र

(रुपये लाखों में)

विवरण		नोट सं	31.03.2013 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के लिए	31.03.2012 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए
I.	**इक्विटी व देयताएँ:**			
1)	शेयरधारियों की निधि:			
	(क) शेयर पूँजी	क	100.00	100.00
	(ख) रिज़र्व तथा अधिशेष	ख	93,601,59	80038.57
2)	**दीर्घकालीन देयता:**			
	(क) अन्य दीर्घकालावधि देयताएँ	ग	1,11,006.83	1,18,013.08
	(ख) दीर्घकालावधि प्रावधान	घ	27.82	16.96
3)	**चालू परिसम्पत्तियाँ**			
	(क) व्यापार देय		24,743.01	22,842.35
	(ख) अय चालू देयताएँ	ङ	47,313.72	22,892.12
	(ग) अल्पावधि प्रावधान	च	4,145.69	3,976.04
	जोड		**2,80,938.66**	**2,47,879.12**
II.	**परिसम्पत्ति:**			
1)	**अस्थगित परिसंपत्ति:**			
	(क) स्थायी परिसंपत्ति			
	(i) मूर्त परिसंपत्ति	छ	1,541.16	35.82
	(ii) अमूर्त परिसंपत्ति	ज	12.88	1.90
	(iii) पूंजीगत चालू कार्य			1,381.52
	(ख) अस्थगित कर परिसंपत्ति		1,059.06	1,021.65
	(ग) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	ञ	44,368.73	67,332.58
2)	**चालू परिसंपत्तियाँ:**			
	(क) चालू निवेश	ट	19,387.22	23,695.54
	(ख) व्यापार प्राप्तियाँ	ठ	57,853.09	42,517.52
	(ग) नकद एवं नकद के समान	ड	1,02,789.42	98,903.51
	(घ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	ढ	46,665.99	5,275.55
	(ङ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	ण	7,261.11	7,713.53
	जोड		**2,80,938.66**	**2,47,879.12**
	लेखा विधि संबंधी नीतियाँ	त		
	लेखाओं पर अन्य टिप्पणियाँ	थ		
नोट क से थ तक इस तुलन पत्र के अनिवार्य भाग हैं ।				

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ज्ञानोबा व भट
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.000939S

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
(के.आर.ज्ञानोबा)
भागीदार
सदस्यता सं.23137

हस्ता/-
(एस.परमेश्वरन)
कार्यकारी निदेशक

हस्ता/-
(वी.एस.हेगडे)
अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 26.06.2013

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 26.06.2013

31.03. 2013 को समाप्त वर्ष का लाभ तथा हानि लेखा

(रुपये लाखों में)

विवरण	नोट सं	31.03.2013 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के लिए	31.03.2012 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए
I. प्रचालनों से राजस्व	1	1,16,873.69	1,05,078.49
II. अन्य आय	2	12,654.52	12,982.35
III. कुल आय (I+II)		1,29,528.21	1,18,060.84
IV. व्यय:			
(i) प्रचालनों से राजस्व की लागत	3	1,02,962.88	92,643.58
(ii) कर्मचारी लाभ व्यय	4	311.60	195.16
(iii) मूल्यह्रास व संक्रामण व्यय		117.84	9.69
(iv) अन्य व्यय	5	741.26	730.15
कुल व्यय		1,04,133.58	93,578.58
V. कर से पहले लाभ		25,394.63	24,482.26
VI. कर व्यय:	6		
(i) चालू कर		(7,725.05)	(7,502.45)
(ii) आस्थगित कर		37.41	118.56
VII. चालूरत प्रचालनों के अवधि के लिए लाभ (V-VI)		17,706.99	17,098.37
VIII. प्रत्येक इक्विटी शेयर की आय			
प्रत्येक इक्विटी शेयर की गणना करने हेतु न्यूमरेटर के रूप में उपयोग की गई राशि लाखों में		17,706.99	17,098.37
प्रत्येक इक्वीटी शेयर की गणना करने हेतु अंकित मूल्य के रूप में उपयोग की गई राशि		1,00,000	1,00,000
इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य		100.00	100.00
प्रत्येक इक्विटी शेयर का मूल तथा जनित अर्जन से		0.18	0.17
लेखा विधि संबंधी नीतियाँ	त		
लेखाओं पर अन्य टिप्पणियाँ	थ		

नोट सं.1 से 6, त व थ इस लाभ तथा हानि लेखा के अनिवार्य भाग है ।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ज्ञानोबा व भट
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.000939S

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
(के.आर.ज्ञानोबा)
भागीदार
सदस्यता सं.23137

हस्ता/-
(एस.परमेश्वरन)
कार्यकारी निदेशक

हस्ता/-
(वी.एस.हेगडे)
अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 26.06.2013

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 26.06.2013

31.03.2013 के अनुसार तुलन पत्र के भाग के नोट की रचना

(रुपये लाखों में)

नोट सं.	विवरण	यूनिट	31.03.2013 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के लिए	31.03.2012 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए
क	**शेयर पूँजी:**			
	इक्विटी शेयरस्:			
	(क) प्राधिकृत:			
	(i) शेयरों की संख्या	सं.	5,00,000	5,00,000
	(ii) शेयरों की राशि लाखों में		500.00	500.00
	(ख) जारी, अंशदानित तथा पूर्ण प्रदत्त नकद:			
	(i) शेयरों की संख्या	सं.	1,00,000	1,00,000
	(ii) शेयरस् का राशि लाखो में		100.00	100.00
	(ग) प्रत्येक शेयर का सममूल्य (रुपयो में)		100.00	100.00
	(घ) (i) रिपोर्ट अवधि के शुरूआत में बकाया शेयरों की संख्या		1,00,000	1,00,000
	(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयरों की संख्या		1,00,000	1,00,000
	(ङ) पूँजी की चुकौती तथा लाभांश के बँटवारे के प्रतिबंध सहित प्रत्येक वर्ग के शेयरों को संलग्न करते हुए अधिकार, अधिमान तथा प्रतिबंध		**इक्विटी शेयरस्:** कंपनी के अर्तनियम, सभी अधिकार (प्रत्येक इक्विटी शेयर धारितों धृत एक मताधिकार सहित), सभी अधिमानों एवं प्रतिबन्ध (इक्विटी शेयरों के अंतरण पर प्रतिबंध सहित) निदेशक मंडल के साथ निहित है; बोर्ड द्वारा पस्तावित लाभांश, वार्षिक आम सभा के घोषणा पर निर्भर करती है । पश्च कर लाभ का न्यूनतम 20% को भारत सरकार को लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार पूँजीगत की चुकौती होगी ।	**इक्विटी शेयरस्:** कंपनी के अर्तनियम, सभी अधिकार (प्रत्येक इक्विटी शेयर धारितों धृत एक मताधिकार सहित), सभी अधिमानों एवं प्रतिबन्ध (इक्विटी शेयरों के अंतरण पर प्रतिबंध सहित) निदेशक मंडल के साथ निहित है; बोर्ड द्वारा पस्तावित लाभांश, वार्षिक आम सभा के घोषणा पर निर्भर करती है । पश्च कर लाभ का न्यूनतम 20% को भारत सरकार को लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार पूँजीगत की चुकौती होगी ।
	(च) कम्पनी में प्रत्येक शेयरधारक जो 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारक से शेयर धारकों की संख्या निर्दिष्ट होती है		भारत के राष्ट्रपति तथा इनके द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा 100/- रु. के प्रत्येक इक्विटी शेयर के भुगतान किए गए 1,00,000 के समूचे 100% शेयर भारत सरकार द्वारा धारित किए जाते हैं ।	भारत के राष्ट्रपति तथा इनके द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा 100/- रु. के प्रत्येक इक्विटी शेयर के भुगता न किए गए 1,00,000 के समूचे 100% शेयर भारत सरकार द्वारा धारित किए जाते हैं ।

ख	**रिजर्व तथा अधिशेष:**		
	(क) सामान्य रिजर्व:		
	रिपोर्टिंग अवधि के शुरूआत में बकाया राशि	80,035.00	66,875.00
	जोड़: चालू वर्ष के लाभ का अंतरण	13,560.00	13,160.00
	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया राशि	**93,595.00**	**80,035.00**
	(ख) अधिशेष:		
	रिपोर्टिंग अवधि के शुरूआत में बकाया राशि	3.57	40.01
	जोड़: चालू वर्ष का लाभ	17,706.99	17,098.37
		17,710.56	**17,138.38**
	घटाव:		
	सामान्य आरक्षिति का अंतरण	13,560.00	13,160.00
	प्रस्तावित लाभंश	3,542.00	3,420.00
	वितरित लाभ पर कर	601.97	554.80
	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया राशि	6.59	3.57
	जोड़	**93,601.59**	**80,038.57**
ग	**अन्य दीर्घकालीन देयताएँ:**		
	(क) अन्य वाणिज्य देय	103.45	7,267.70
	(ख) अन्य	1,10,903.38	1,10,745.38
		1,11,006.83	**1,18,013.08**
घ	**दीर्घकालीन प्रावधान**		
	(क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
	(i) उपदान के लिए प्रावधान	9.53	6.20
	(ii) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	18.29	10.76
		27.82	**16.96**
ङ	**अन्य चालू परिसम्पतियाँ:**		
	(क) अग्रिम में प्राप्त आय	23,415.24	13,579.03
	(ख) ग्राहकों से अग्रिम	5,177.86	5,779.10
	(ग) संवैधानिक देयता	754.07	872.92
	(घ) व्यय के लिए लेनदार	107.87	41.46
	(ङ) परियोजना व्यय के लिए लेनदार	113.47	2,592.16
	(च) अन्य देयता के लिए लेनदार	17,749.21	27.45
		47,313.72	**22,892.12**
ट	**अल्पावधि प्रावधान:**		
	(क) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	1.72	1.23
	(ख) प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान	3,542.00	3,420.00
	(ग) वितरित लाभ पर कर के लिए प्रावधान	601.97	554.81
		4,145.69	**3,976.04**
ठ	**मूर्त परिसंपतियाँ:**		
	(i) (क) भवन	1,243.57	–
	(ख) फर्नीचर एवं जुडनार	240.91	15.50
	(ग) कम्प्यूटर	25.78	5.26
	(घ) कार्यालय उपकरण	30.90	15.06
		1,541.16	**35.82**
	(ii) संयुक्त व्यापार के द्वारा योग, निपटान, अधिग्रहण को दर्शाते हुए रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत एवं अंत में परिसंपतियों के प्रत्येक वर्ग के सकल व निवल राशि का समाधान तथा अन्य समायोजन और संबंधित मूल्यह्रास तथा अत्यधिक हानि/प्रतिलोम	इस नोट के जरिये अनुबन्ध द्वारा	इस नोट के जरिये अनुबन्ध द्वारा

ड	**अमूर्त परिसंपत्तियाँ:**		
	(i) (क) कम्प्यूटर साफ्टवेयर	12.88	1.90
	(ii) संयुक्त व्यापार के द्वारा योग, निपटना, अधिग्रहण को दर्शाते हुए रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत एवं अंत में परिसंपत्तियों के प्रत्येक वर्ग के सकल व निवल राशि का समायता तथा अन्य समायोजन और संबंधित मूल्यह्रास तथा अत्यधिक हानि/प्रतिलोम	इस नोट के जरिये अनुबन्ध द्वारा	इस नोट के जरिये अनुबन्ध द्वारा
ढ	**दीर्घकालीन उधार व अग्रिम:**		
	(प्रतिभूतिरहित - अच्छा माना गया)		
	(क) पूंजी अग्रिम	–	344.97
	(ख) सुरक्षा जमा	5,015.29	5,015.29
	(ग) कर्मचारियों के लिए अग्रिम	0.13	0.20
	(घ) कर्मचारियों के अग्रिम पर ब्याज	0.07	0.06
	(ङ) परियोजना व्यय के लिए अग्रिम	1,419.17	53,963.81
	(च) प्रतिदेय कर	9,786.28	6,989.07
	(छ) बकाया कर की वापसी	912.47	912.47
	(ज) वाणिज्य लेनदारों के अग्रिम	27,229.81	106.49
	(झ) व्यय के लिए अग्रिम	5.51	–
	(ट) ग्राहकों से बकाया	–	0.22
		44,368.73	**67,332.58**
त	**चालू निवेश**		
	म्यूचुअल फण्ड में निवेश:		
	(लागत पर - अवाणिज्यिक - अनुद्धृत)		
	केनरा रोबेको अल्पावधि फण्ड- सीधा महीना डिविडेन्ड-6 महीने *(1,00,196,62.9150 यूनिट पर @ रु.10.14 में निवेश किया गया; वर्ष के अंत में एन.ए.वी.@ 10.12915, रु.1014.90 लाख था)*	1,016.05	–
	केनरा रोबे एमएफ ट्राई अड्वा.सुपर इन्स्टी डीएलवाई डिव रिनिव फण्ड *(1240.71/- दर पर @ रु.91,545.1120 (पि.व.-1,47,754.985) वर्ष के अंत में एनएवी प्रति निवेश किया)*	1,135.81	1,833.21
	यूटीआई एमएफ लघु अवधि आय फंड इन्स्टी-इंक आप्ट-आरई-इनव *(1,38,18,435.117 यूनिट पर @ रु.10.94 में निवेश किया गया; वर्ष अंत में एनएवी @ 11.0027 रु. 1520.40 लाख में निवेश किया गया)*	1,511.80	–
	यूटीआई ट्रेजरी अडवान्टेज फण्ड-डाइरेक्ट डेली डिविडेन्ड *(3,80,880.933 यूनिट पर @ रु.1000.2141 में निवेश किया गया; वर्ष अंत में 3809.62 लाख रु. निवल मूल्य भी है।)*	3,809.62	–
	यूटीआई एमएफ लघु अवधि आय फंड इन्स्टी-इंक आप्ट-आरई-इनव *(4,86,65,841.302 यूनिट पर @ औसत रु.10.58777 प्रति; वर्ष अंत में एनएवी @ 10.5653 रु. 5141.69 लाख निवेश किया गया)*	–	5,152.63
	केनरा रोबेको एमएफएलआईक्यूयू सुपर इन्स्टी डीएलवाई डिव रिनिव फण्ड *(219347.4530 यूनिट पर @ रु.1005.50 प्रति वर्ष अंत में एनएवी प्रति निवेश किया)*	–	2,205.54
	केनरा रोबेको एमएफइंटर्व एसआरएस 2 ति. योजना 2-इन्स्ट डिव फण्ड *(1,49,95,201.536 यूनिट पर @ रु.10.0032 प्रति; वर्ष अंत में एनएवी @ 10.0309 रु.1504.15 लाख प्रति निवेश किया गया)*	–	1,500.00
	एलआईसी नोमुरा एमएफ लिक्विड फंड डिविडेन्ड योजना *(2,729.339 यूनिट पर @ रु.10.9801 प्रति वर्ष अंत में एनएवी निवेश किया गया)*	–	0.30
	केनरा रोबेको एम.एफ. इण्डिगो रेग्यूलर ग्रोथ फण्ड-366डी *(2,06,34,553.7980 यूनिट पर 12.1156 प्रत्येक; वर्ष के अंत में एन.ए.वी.@ 12.8927 (पि.व.-12.1825) का रु.2660.35 लाख (पि.व.-रु.2513.80 लाख) निवेश किया गया ।)*	2,500.00	2,500.00
	केनरा रोबेको एम.एफ. इण्डिगो नियमित बढोत्तरी फण्ड-366डी *(77,49,354.8660 यूनिट पर 12.9043 प्रत्येक; वर्ष के अंत में एन.ए.वी.@ 12.8927, रु.999.10 लाख निवेश किया गया ।)*	1,000.00	–
	एलआईसी नोमुरा एम.एफ बाण्ड फण्ड-ग्रो प्लान-लाक 6 महीने में *(6,32,703.890 यूनिट पर 32.2502 प्रत्येक; वर्ष के अंत में एन.ए.वी.@ 32.7761, रु.207.38 लाख निवेश किया गया)*	204.05	–

	एलआईसी नोमुरा एम.एफ एफएमपी श्रृंखला 52-367 डी ग्रोथ *(1,50,17,543 यूनिट पर 10 प्रत्येक; वर्ष के अंत में एन.ए.वी.@ 11.0280, रु1656.13 लाख निवेश किया गया)*	1,501.75	1,501.75
	एसबीआई ऋण फण्ड श्रृंखला 25 - 366 दिन - एफएमपी *(2,20,81,400 यूनिट पर @ रु.10 प्रति, वर्ष अंत में एन.ए.वी. रु.2208.14 लाख @ रु.10 प्रति निवेश किया गया)*	2,208.14	–
	एसबीआई एम.एफ. ऋण फण्ड श्रृंखला 366 दिन - 17 बढ़ोत्तरी *(1,00,00,000 यूनिट पर @ रु.10 प्रति, वर्ष अंत में एन.ए.वी. रु.1029.75 लाख- @ रु.10.2975 प्रति निवेश किया गया)*	1,000.00	–
	एसबीआई एमएफ ऋण फण्ड श्रृंखला 366 दिन - 3 बढ़ोत्तरी *(2,50,00,000 यूनिट पर @ रु.10 प्रति, वर्ष अंत में एन.ए.वी. रु.2716.48 @ रु.10.8659 प्रति निवेश किया गया)*	2,500.00	–
	एसबीआई एमएफ ऋण फण्ड श्रृंखला 366 दिन श्रृंखला - 16 - बढ़ोत्तरी *(1,00,00,000 यूनिट पर @ रु.10 प्रति, वर्ष अंत में एन.ए.वी. रु.10.3219 @ रु.1032.19 लाख प्रति निवेश किया गया)*	1,000.00	–
	एसबीआई एमएफ एसडीएफएस - 15 माह - 6 बढ़ोत्तरी *(2,50,00,000 यूनिट पर @ Rs.10 प्रति, वर्ष अंत में एनएवी रु.2536.28 लाख @ रु.10.1451 प्रति निवेश किया गया)*	–	2,500.00
	एसबीआई एमएफ ऋण फण्ड श्रृंखला 367 दिन - 7 - बढ़ोत्तरी *(2,50,00,000 यूनिट @ रु.10 प्रति, वर्ष अंत में एन.ए.वी. रु.2594.78 लाख @ रु.10.3791 प्रति निवेश किया गया)*	–	2,500.00
	एसबीआई एमएफ ऋण फण्ड श्रृंखला 19-367 दिन - एफएमपी बढ़ोत्तरी *(2,00,00,000 यूनिट @ रु.10 प्रति, वर्ष अंत में एन.ए.वी. प्रति निवेश किया गया)*	–	2,000.00
	यूटीआई एमएफ सावधिक आय निधि श्रृंखला XI-VII-366 D *2,00,21,114.914 यूनिट पर @ Rs10/- प्रति; वर्ष अंत में एनएवी @ 10.0288 रु. 2007.88 लाख प्रति निवेश किया गया)*	–	2,002.11
		19,387.22	**23,695.54**
	अनुद्धृत की औसत राशि, म्यूचल फंड में अवाणिज्यिक दीर्घकालीन निवेश	**19,387.22**	**23,695.54**
थ	**व्यापार प्राप्तियाँ:**		
	(असुरक्षित)		
	(क) भुगतान के लिए बकाया दिनांक से छ महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया कर व्यापार प्राप्तियाँ		
	(i) खरे माने गये	14,046.35	8,959.25
	(ii) संदिग्ध माने गये	3,237.34	3,126.30
	(ख) अन्य ऋण (खरे माने गये)	43,806.74	33,558.26
		61,090.43	**45,643.81**
	घटाईयः संदिग्धपूर्ण ऋण के लिए प्रावधान	3,237.34	3,126.29
		57,853.09	**42,517.52**
द	**नकद एवं नकद के समतुल्य:**		
	(क) बैंक में बकाया	57,657.97	22,688.73
	(ख) नकद	0.14	0.13
	(ग) 12 महीने से अधिक परिपक्वता के साथ बैंक जमा	45,131.31	76,214.65
		1,02,789.42	**98,903.51**
ध	**अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम:**		
	(अनारक्षित-खरे माने गये)		
	(क) व्यय के लिए अग्रिम	218.46	8.55
	(ख) परियोजना व्यय के लिए अग्रिम	29,610.37	56.68
	(ग) व्यापार लेनदार के लिए अग्रिम	16,825.74	5,210.32
	(घ) बकाया कर की वापसी	11.42	–
		46,665.99	**5,275.55**
न	**अन्य चालू निवेश**		
	(अनारक्षित-खरे माने गये)		
	(क) बैंक में जमा राशि के लिए प्राप्त ब्याज	5,860.46	6,879.35
	(ख) निविष्ट सेवा कर	1,400.65	834.18
		7,261.11	**7,713.53**

(₹ लाखों में)

नोट - जी का अनुबन्ध - मूर्त परिसंपत्तियाँ

क्र. सं.	विवरण	कुल निरुद्ध (लागत)				मूल्य ह्रास (डब्ल्यू.डी.वी.पद्धति के अन्तर्गत)				निवल निरुद्ध (डब्ल्यू.डी.वी.)	
		31.03.12 के अनुसार	जोड़	निपटारा/ समायोजन	31.03.13 के अनुसार	31.03.12 तक	वर्ष के लिए	निपटारा/ समायोजन के लिए	31.03.13 तक	31.03.13 के अनुसार	31.03.12 के अनुसार
1	भवन	–	1298.04	–	1298.04	–	54.47	–	54.47	1243.57	–
2	फर्नीचर और फिक्सचर्स	66.29	266.52	–	332.81	50.79	41.11	–	91.90	240.91	15.50
3	कम्प्यूटर एवं संबंधित उपकरण	48.22	32.17	3.42	83.81	42.96	12.23	2.84	58.03	25.78	5.26
4	कार्यालय उपस्कर	35.42	20.70	–	56.12	20.36	4.86	–	25.22	30.90	15.06
	कुल	**149.93**	**1617.43**	**3.42**	**1770.78**	**114.11**	**112.67**	**2.84**	**229.62**	**1541.16**	**35.82**
	पिछले वर्ष के आँकड़े	**142.47**	**8.26**	**0.80**	**149.93**	**106.25**	**8.28**	**0.42**	**114.11**	**35.82**	**36.22**

नोट: संयुक्त व्यापार तथा हानि/ प्रतिवर्तन द्वारा कोई अर्जन नहीं किया गया है ।

भवन का निर्माण वार्षिक किराए के आधार पर 60 वर्षों की प्रारंभिक अवधि अथवा कोई 01.02.2009 से आरंभ किसी दिये गये समय विस्तार के लिए अन्तरिक्ष विभाग, भारत सरकार द्वारा कंपनी को पट्टे पर दी गई जमीन पर किया गया है । । पट्टे की अवधि 10 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए पारस्परिक सहमति पर वार्षिक किराए पर बढ़ायी जाएगी ।

"नपटारा/समायोजन" कालम के अर्न्तगत राशि "कम्प्यूटर एवं संबंधित उपकरणों" तथा "कम्प्यूटर साफ्टवेयर" के बीच गलत वर्गीकरण का संशोधन दर्शाता है ।

नोट - एच का अनुबन्ध - अमूर्त परिसंपत्तियाँ

क्र. सं.	विवरण	कुल निरुद्ध (लागत)				लेखा नीति मानक ए.एस.-26 के अंतर्गत परिशोधन (सरल रेखा पद्धति)				निवल योजित मूल्य (एस.एल.एम.)	
		31.03.12 के अनुसार	जोड़	निपटारा/ समायोजन	31.03.13 के अनुसार	31.03.12 तक	वर्ष के लिए	निपटारा/ समायोजन के लिए	31.03.13 तक	31.03.13 के अनुसार	31.03.12 के अनुसार
1	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	10.76	16.29	3.42	23.63	8.86	5.16	3.27	10.75	12.88	1.90
	कुल	**10.76**	**16.29**	**3.42**	**23.63**	**8.86**	**5.16**	**3.27**	**10.75**	**12.88**	**1.90**
	पिछले वर्ष के आँकड़े	**10.62**	**0.14**	**0.00**	**10.76**	**7.45**	**1.41**	–	**8.86**	**1.90**	**3.17**

नोट : संयुक्त व्यापार तथा हानि/ प्रतिवर्तन द्वारा कोई अर्जन नहीं किया गया है ।

"निपटारा/समायोजन" कालम के अर्न्तगत राशि "कम्प्यूटर एवं संबंधित उपकरणों" तथा "कम्प्यूटर साफ्टवेयर" के बीच गलत वर्गीकरण का संशोधन दर्शाता है ।

31.03.2013 के अनुसार लाभ तथा हानि लेखा के भाग के नोट की रचना

(रुपये लाखों में)

नोट सं.	विवरण	यूनिट	31.03.2013 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के लिए	31.03.2012 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए
1	प्रचालन से राजस्व:			
	(क) उत्पादों की बिक्री:			
	(i) निर्यात		283.22	405.42
	विदेशी मुद्रा पर निवल प्राप्ति/ (हानि) तथा निर्यात से संबंधित अंतरण एवं		21.24	21.60
			304.46	427.02
	(ii) अन्तर्देशीय बिक्री		327.31	4,106.17
	(ख) सेवा की बिक्री:			
	(i) विदेशी परामर्शिता सेवा प्राप्तियाँ		155.77	263.09
	विदेशी मुद्रा पर निवल प्राप्ति/ (हानि) तथा एफसीएस से संबंधित अंतरण		6.96	85.08
			162.73	348.17
	(ii) अन्तर्देशीय परामर्शिता सेवा प्राप्तियाँ		1,093.23	171.90
	(ग) अन्य प्रचालानात्मक राजस्व:			
	(1) विदेशी प्राप्तियाँ:			
	(i) अभिगम शुल्क एवं रॉयल्टी प्राप्तियाँ		1,946.92	2,438.21
	विदेशी मुद्रा पर निवल प्राप्ति/ (हानि) तथा एएफआर से संबंधित अंतरण		25.86	52.83
			1,972.78	2,491.04
	(ii) मेज़बान सुविधा प्राप्तियाँ		6,193.46	8,272.51
	विदेशी मुद्रा पर निवल प्राप्ति/ (हानि) तथा एचएफ से संबंधित अंतरण		250.43	169.49
			6,443.89	8,442.00
	(iii) अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता शुल्क प्राप्तियाँ		203.58	1,639.53
	विदेशी मुद्रा पर निवल प्राप्ति/ (हानि) तथा एएएससीसी से संबंधित अंतरण		3.48	(2.64)
			207.06	1,636.89
	(2) अन्तर्देशीय प्राप्तियाँ:			
	(i) अभिगम शुल्क एवं रॉयल्टी प्राप्तियाँ		–	8.97
	(ii) अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता शुल्क प्राप्तियाँ		1,06,362.23	87,446.33
			1,16,873.69	**1,05,078.49**

2	**अन्य आय:**		
	(क) ब्याज से प्राप्त आय		
	(i) बैंक में जमा राशि पर	9,922.93	9,868.69
	(ii) अग्रिम तथा बकाया देनदारों पर	698.45	709.15
	(ख) निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या/हानि		
	(i) म्युचल फंड निवेश पर दीर्घ अवधि पूंजीगत लाभ	1,108.61	577.80
	(ii) म्युचल फंड निवेश पर अल्पावधि पूंजीगत लाभ	46.52	–
	(iii) म्युचल फंड निवेश पर अल्पावधि पूंजीगत हानि	(0.48)	–
	(ग) म्युचल फंड निवेश पर लाभांश प्राप्तियाँ	741.82	937.38
	(घ) विदेशी मुद्रा पर निवल लाभ/हानि तथा बकाया देयता एवं परिसम्पत्तियों से संबंधित अंतरण	133.13	559.00
	(ङ) देयता जिसको आगे भी वापस करने की आवश्यकता न हो	–	278.91
	(च) पिछली अवधि के मद	–	20.85
	(छ) विविध आय	3.54	30.57
		12,654.52	**12,982.35**
3	**प्रचालन से राजस्व की लागत**		
	(क) क्रय की लागत		
	(i) निर्यात की लागत	119.45	241.48
	(ii) अन्तर्देशी बिक्री की लागत	282.10	3,723.88
	(ख) सेवा की लागत		
	(i) विदेशी परामर्श प्राप्तियों की लागत	93.33	61.54
	(ii) अन्तर्देशी परामर्श प्राप्तियों की लागत	949.26	126.78
	(ग) अन्य राजस्व की लागत		
	विदेशी प्राप्तियों के लिए		
	(i) अभिगम शुल्क की लागत तथा रॉयल्टी प्राप्तियाँ	1,160.99	1,446.43
	(ii) मेज़बान सुविधा प्राप्तियों की लागत	4,703.05	6,341.54
	(ii) अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता शुल्क प्राप्तियों की लागत	182.21	1,410.21
	अन्तर्देशीय प्राप्तियों के लिए		
	(i) अभिगम शुल्क की लागत तथा रॉयल्टी प्राप्तियाँ	–	5.38
	(ii) अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता प्रभार प्राप्तियों की लागत	95,472.49	79,286.34
		1,02,962.88	**92,643.58**
4	**कर्मचारियों के लाभाग पर व्यय**		
	वेतन	48.03	41.01
	सार्वजनिक भविष्य निधि के लिए योगदान	1.88	1.80
	कर्मचारी कल्याण	49.33	5.64
	छुट्टी यात्रा रियायत	6.05	5.96
	दत्त छुट्टी नकदीकरण	1.50	0.50
	छुट्टी नकदीकरण प्रावधान	8.03	6.27
	भुगतान किया गया उपदान	2.26	0.61
	उपदान प्रावधान	3.33	1.03
	स्थापना व्यय	191.07	132.26
	कार्मिक प्रशिक्षण व्यय	0.12	0.08
		311.60	**195.16**

5	**अन्य व्यय:**		
	यात्रा व्यय	36.05	62.57
	सवारी और टैक्सी भाड़ा	20.37	15.67
	मुद्रण और लेखा सामग्री	10.77	6.01
	संचार संबंधी खर्च	30.60	12.29
	कानून परामर्शिता तथा व्यावसायिक शुल्क	155.77	162.38
	दर तथा कर	0.04	4.36
	प्रचार एवं विज्ञापन	7.54	6.01
	व्यवसाय प्रापण कमीशन	233.63	–
	आतिथ्य व मनोरंजन	0.23	3.14
	संगोष्टी, सम्मेलन तथा बैठक संबंधी व्यय	11.16	10.28
	प्रदर्शनी व व्यवसाय मेलन	44.18	–
	पट्टे पर किराया	0.10	0.10
	करों की विलंबित भुगतान पर ब्याज	2.76	6.19
	बैंक प्रभार	7.31	4.19
	बैंक गारंटी तथा एल सी प्रभार	0.98	2.81
	मरम्मत एवं अनुरक्षण-अन्य	14.65	2.09
	लेखा परीक्षण के लिए भुगतान		
	लेखा परीक्षकों के रूप में	1.85	1.68
	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.49	0.22
	सदस्यता एवं अभिदान	0.94	1.35
	विविध व्यय	17.39	8.00
	संदिग्धपूर्ण ऋण हेतु प्रावधान	111.16	420.81
	अवधि की पूर्व की मदें	33.39	–
		741.26	**730.15**
	कर व्यय:		
6	(i) चालू कर	7,692.00	7,610.00
	पिछले वर्षों में लघु/अतिरिक्त प्रावधान	33.05	(112.55)
	पिछले वर्षों में एफबीटी के लिए अल्प प्रावधान	–	5.00
		7,725.05	**7,502.45**
	(ii) आस्थगित कर		
	वर्ष के दौरान उत्पन्न आस्थगित कर (बचत)	37.41	139.38
	वर्ष के दौरान प्रतिकूल आस्थगित कर (व्यय)	–	(20.82)
		37.41	**118.56**

O. लेखा विधि संबंधी नीतियाँ

1. **सामान्य :**

कम्पनी चालू संस्था, एकरूपता और लेखा की उपचित पद्धति नामक मूलभूत लेखा-विधि संबंधी नीति का अनुपालन करती है जबतक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2. **आय:**

(i) **बिक्री:**

राजस्व, सभी करों का निवल, उत्पाद शुल्क के अलावा शुल्कों तथा वसूलियाँ तब स्वीकार की जाती है जब माल ग्राहक को अथवा उनके द्वारा निर्धारित/ठेके पर दी गई परियोजना को सौंपा जाता है । परन्तु, यदि ग्राहक के अनुरोध पर सुपुर्दगी में विलम्ब होता है और ग्राहक जिम्मेदारी लेकर बिल स्वीकार कर लेता है तो आय स्वीकार कर ली जाती है, इस बात के होते हुए भी भौतिक रूप से माल की सुपुर्दगी नहीं की गई, जब तक कि यह आशा है कि सुपुर्दगी की जायेगी और माल सुपुर्दगी के लिए तैयार है और यदि सुपुर्दगी की संस्थापना/निरीक्षण किये जाने की शर्तें है तो आय को सामान्यतया स्वीकारनहीं किया जाता जब तक कि ग्राहक सुपुर्दगी स्वीकार न कर ले और संस्थापना/निरीक्षण पूरा न हो जाए।

(ii) **सेवाएँ:**

(क) प्रमोचन, संस्थापना, कमीशन और परीक्षा एवं निर्माण कार्य

राजस्व, सभी करों का निवल, उत्पाद शुल्क के अलावा शुल्कों तथा वसूलियाँ काम के पूरा होने के चरण तक निर्दिष्ट होने के बाद स्वीकार की गई है जैसे कि ठेके में विनिर्दिश है कि कहे गए चरण को पूरा करने के अनुकूल लागत का लेखाकरण किया जाएगा।

(ख) अभिगम शुल्क, अंतरिक्षखंड प्रभार, दूरमिति, अनुवर्तन और आदेश कक्षीय जाँच, आदि।

राजस्व, सभी करों का निवल, उत्पाद शुल्क के अलावा शुल्कों तथा वसूलियाँ सेवा में ठेके की प्रकृति के आधार पर, वह एक बारगी सेवा हो अथवा आवृत्तिशील हो, के आधार पर, तुरंत प्रदान की गई या आवधिक रूप में स्वीकार की गई है।

(iii) **परामर्शिता:**

आय, प्रदान की जाने वाली या ठेके पर ली गई परामर्शिता की प्रकृति के आधार पर तुरंत स्वीकार की गई है।

(iv) **सम्मिश्र ठेका:**

सम्मिश्र ठेके की प्रत्येक मद के लिए आय उपरोक्त (i) से (iii) की मदों के प्रति उल्लिखित नीति के अनुसार स्वीकार की गई है।

(v) **अन्य आय:**

(क) ब्याज:

ब्याज से आय प्रोदभवन आधार पर स्वीकार की गई है। फिर भी, केवल प्राप्ति के बाद, ठेके के अनुसार, समय के अनुपात के आधार पर, व्यापार प्रप्तियों से ब्याज की आय को मान्यता दी गई है।

(ख) रॉयल्टी:

रॉयल्टी का नकद आधार पर लेखा-जोखा रखा गया है।

(ग) निवेश से प्राप्त लाभांश:

जब भुगतान पाने का कम्पनी का अधिकार स्थापित हो जाए।

(घ) विदेशी मुद्रा में उतार-चढाव:

प्रचालन से प्राप्त, राजस्व के संबंधित मूल्य पर विदेशी मुद्रा में उतार-चढाव का हिसाब लिया गया है।

3. **व्यय:**

इसरो/अं.वि. को देय निर्यात, विदेशी (अन्य) प्राप्तियों, अन्तर्देशीय बिक्री तथा अन्तर्देशीय (अन्य) प्राप्तियों की लागत का लेखा-जोखा, इसरो/अं.वि. तथा कम्पनी के बीच पारस्परिक सहमति और अनुमोदन के अनुसार किया गया है।

4. **स्थायी परिसम्पत्तियाँ:**

इतिवृत्तीय लागत के आधार पर स्थायी परिसंपत्तियों का लेखा-जोखा रखा गया है।

5. **मूल्य ह्रास-ए.एस-6:**
स्थायी परिसम्पत्तियों के लिए मूल्य ह्रास कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत निर्धारित दरों पर रिटेन डाउन वेल्यू पद्धति के तहत प्रदान किया गया है, सिवाय अमूर्त परिसंपत्तियों के ।

6. **अमूर्त परिसंपत्तियाँ - ए.एस.26 के अर्न्तगत परिशोधन व्यय:**
अमूर्त परिसंपत्तियाँ सीधी रेखा विधि पर अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित की जाएगी तथा साफ्टवेयर के विषय में जो परिसंपत्ती के प्रयोग की उपलब्धता की तिथि या अनुज्ञप्ति/विधिक अधिकारों की अवधि के लिए जो भी पहले हो, से अधिकतम 5 साल की अवधि के लिए परिशोधित किये जाएंगे । परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत समीक्षा की जाएगी और यदि परिसंपत्ती की वांछित लाभकारी आयु, पिछले आकलनों से भिन्न है तो परिशोधन अवधि को तदनुसार परिवर्तित कर दिया जाएगा ।

7. **मुद्रा दर अन्तरण-ए.एस-11:**
विदेशी मुद्रा में किये गये लेन-देन का उक्त दिन के विनिमय दर के हिसाब से लेखा-जोखा रखा गया है। लाभ तथा हानि लेखा में धन-राशि प्राप्त करने या उसके भुगतान करते समय विदेशी मुद्रा के उतार-चढाव का हिसाब रखा गया है। वर्षांत में विदेशी मुद्रा में लेन-देन से संबंधित और आर्थिक परिसम्मत्तियाँ अथवा देयताएँ, जिनका निपटान नहीं किया गया, उनका वर्षांत में लागू विनिमय दर अथवा तदनन्तर निपटान की गई दर पर मूल्य निर्धारित किया गया है और उतार-चढाव को लाभ तथा हानि लेखा में दर्शाया गया है।

8. **उक्त अवधि, अवधि पूर्व की मदों के लिए निवल लाभ व हानि और लेखा संबंधी नीतियों में परिवर्तन ए.एस.5:**
आय व व्यय की ऐसी सभी मदें जिन्हें इस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त हो, जब तक लेखा विधि मानक की आवश्यकता हो या अन्यथा अनुमति हो, उक्त अवधि के निवल लाभ व हानि के निर्धारण में शामिल की जाएँगी। एक या अधिक पूर्व की अवधि के वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय होने वाली गलती या चूक के परिणामस्वरूप चालू अवधि में उद्भूत होनेवाली अवधि पूर्व की मदों को आय व व्यय के रूप मान्यता दी गई है।

9. **परिसम्पत्तियों की हानि - ए.एस.28**
जब परिसंपत्ति की अग्रेणीत राशि उसकी वसूली लागत से ज्यादा होती है तब परिसंपत्ति को अपसामान्य हानि माना जाता है। इस अपसामान्य हानि को उस वर्ष के लाभ व हानि लेखा में दर्शाया जाता है उस वर्ष की परिसंपत्ति को अपसामान्य हानि माना जाता है। पिछली लेखा अवधि के दौरान पाई अपसामान्य हानि को, वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर प्रतिवर्तित किया जाता है।

10. **प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ - ए.एस.-29:**
ऐसे प्रावधान जिनमें मापन में अनुमान की पर्याप्त निहित मात्रा को तब स्वीकार किया जाता है जब पिछले परिणामों के कारण वर्तमान देयता बनती है और बहिर्गमन संभव होता है। आकस्मिक देयताओं को इंगित नहीं किया गया है परन्तु, टिप्पणियों में दिखाया गया है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को न ही इंगित किया गया है और न ही वित्तीय विवरणों में दिखाया गया है।

11. **संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान:**
ऋण जो केन्द्रीय/राज्य सरकारों, केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग और केन्द्रीय/राज्य स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक उपक्रम में देय हैं जिनके लिए हर मामले के आधार पर प्रावधान बनाए गए हैं, को छोड़ सभी संदिग्ध ऋण जो तीन साल से ज्यादा बकाया हैं, के लिए प्रावधान बनाए गए हैं।

12. **निवेश:**
वित्तीय वर्ष 2011-12 से लागू कम्पनी अधिनियम 1956 की संशोधित सूची VI के अनुसार, निवेश को "दीर्घकालीन निवेश" तथा "चालू निवेश" में वर्गीकृत किया गया है। चालू निवेश के लिए अग्रेणित राशि, लागत से कम है तथा सही मूल्य को, व्यक्तिगत निवेश या निवेश के वर्गीकरण के आधार पर लिया जाता है न की समूचे (या वैश्विक) आधार पर। दीर्घकालीन निवेश को लागत के आधार पर लिया जाता है। फिर भी, अस्थायी के अलावा, दीर्घकालीन निवेश के मूल्य में ह्रास को तब अग्रेणित राशि को ह्रास के अनुरूप कम कर दिया जाता है। किसी निवेश को बेचने पर, उसकी अग्रेणित राशि और बिक्री से प्राप्त धन के अन्तर (लाभ या हानि), निवल व्यय को लाभ तथा हानि लेखा विवरण में दर्शाया जाता है।

P

लेखा के भाग पर अन्य नोट

(रुपये लाखों में)

		31 मार्च 2013 के अनुसार	31 मार्च 2012 के अनुसार
1	**आकस्मिक देयता एवं प्रतिबद्धताएँ:** (सीमा तक प्रदत्त न किये जाने पर)		
	(i) **आकस्मिक देयताएँ:**		
	(क) कम्पनी के प्रति दावे जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		
	(i) माननीय उच्च-न्यायालय में कर्नाटक मूल्यनियोजित कर तथा केन्द्रीय बिक्री कर के माँग का विवाद	37,321.41	37,321.41
	(ii) सीईएसटीएटी, बेंगलूर में सेवा कर माँग का विवाद	106.01	106.01
	(iii) ग्राहक द्वारा माँगे गए परिनिर्धारित नुकसान	2,189.00	2,189.00
	(ख) गारंटी;	आकस्मिक देयता के परिणाम में कंपनी द्वारा कोई गारंटी नहीं जारी की गई है	आकस्मिक देयता के परिणाम में कंपनी द्वारा कोई गारंटी नहीं जारी की गई है
	(ग) अन्य राशि जिसके लिए कम्पनी आकस्मिक रूप से देय है	शून्य	शून्य
	ii) **प्रतिबद्धताएँ:**		
	(क) संविदा की बची हुई अनुमानित राशि जिसे पूँजीगत लेखा पर निष्पादित किया जाए तथा जिसे किसी और के लिए प्रदत्त न किया जाए;	शून्य	60.16
	(ख) अन्य प्रतिबद्धताएँ	शून्य	शून्य
2	(i) अवधि के लिए इक्विटी शेयरधारकों को वितरित किए जाने वाले प्रस्तावित लाभांश की राशि:	3,542.00	3,42000
	(ii) प्रति शेयर संबंधी राशि:	0.04	0.03
3	स्थायी परिसम्पत्तियों के अलावा किसी और परिसम्पत्ति के बारे में बोर्ड की राय तथा सामान्य व्यापार में दीर्घकालीन निवेश की प्राप्तियों का कोई मूल्य नहीं होगा, कम-से-कम उनके द्वारा उल्लेख की गयी राशि के समान नहीं होगा ।	बोर्ड की राय के अनुसार ऐसी परिसम्पत्तियों के सामान्य व्यापार की प्राप्तियों में कम-से-कम लेखा में उल्लेख की गई राशि के समान मूल्य हो	बोर्ड की राय के अनुसार ऐसी परिसम्पत्तियों के सामान्य व्यापार की प्राप्तियों में कम-से-कम लेखा में उल्लेख की गई राशि के समान का मूल्य हो ।

4	क) भण्डार व कल पुर्जों का उपभोग i) आयातित ii) देशी प्राप्ति	दिनांक 04.06.2013 को कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार जारी किये गये आदेश सं.46/8/2013-सी.एल.-III द्वारा प्रकटन की छूट दी गई है ।	दिनांक 31.07.2012 को कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार जारी किये गये आदेश सं.56/12/2012-सी.एल.-III द्वारा प्रकटन की छूट दी गई है ।
	ख) वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा सी.आई.एफ. आधार पर निम्नांकित के संबंध में आयात के मूल्य का परिकलन किया जाता है:- I. कच्ची सामग्रियाँ; II. घटक एवं कलपुर्जे; III. पूँजीगत माल;	-वही-	-वही-
	ग) वित्तीय वर्ष के दौरान रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी व्यवसायिक एवं परामर्शिता शुल्क, ब्याज तथा अन्य मामले के लेखा पर विदेशी मुद्रा में व्यय;	-वही-	-वही-
	घ) वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग किये गये सभी आयातित कच्ची सामग्रियाँ, कलपुर्जों एवं घटकों तथा इसी तरह उपयोग किये गये सभी स्वदेशी कच्ची सामग्रियाँ, कलपुर्जों एवं घटकों का कुल मूल्य तथा कुल उपभोग में प्रत्येक का प्रतिशत:-	-वही-	-वही-
	ङ) वर्ष के दौरान गैर-आवासीय शेयरधारकों के कुल संख्या को विशिष्ट रूप से उल्लिखित करते हुए लाभांश के लेखा में विदेशी मुद्रा के रूप में धन राशि जमा की गई, बकाया लाभांश जिसमें शेयरधारकों की कुल संख्या तथा वर्ष जिससे लाभांश संबंधित था ।	लागू नहीं	लागू नहीं
	च) निम्नलिखित शीर्ष के अधीन विदेशी मुद्रा में अर्जन को वर्गीकृत किया गया है, जैसे:-		
	I. एफ.ओ.बी. आधार पर माल के निर्यात का परिकलन,	दिनांक 04.06.2013 को कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार जारी किये गये आदेश सं.46/8/2013-सी.एल.-III द्वारा प्रकटन की छूट दी गई है ।	दिनांक 31.07.2012 को कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार जारी किये गये आदेश सं.56/12/2012-सी.एल.-III द्वारा प्रकटन की छूट दी गई है ।
	II. रॉयल्टी तकनीकी जानकारी व्यवसायिक एवं परामर्शिता शुल्क	-वही-	-वही-
	III. ब्याज एवं लाभांश	-शून्य-	-शून्य-
	IV. प्रकृति के अनुसार इंगित करते हुए, अन्य आय	-शून्य-	-शून्य-

5. वर्षांत की मुद्रा विनिमय दर का ब्यौरा इस प्रकार है :

विवरण	वर्षांत की मुद्रा विनिमय दर (₹ लाखों में)	नामे/जमा	लाभ और हानि लेख
बैंक ईईएफसी जमा	133.13	जमा	विविध आय में जमा किया गया
चालू खाते, देयताएँ तथा लेनदार	(559.00)	जमा	(विविध आय में जमा किया गया)

पिछले वर्ष के आँकड़े कोष्ठक में दर्शाये गये है ।

6. प्रतिभूति के रूप में "सहाय वाणिज्यि" कर आयुक्त, जिला-"V" सर्कल, बेंगलूर, एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड के खाते मेंछ के नामे 12 महीने से अधिक की अवधि वाली बैंक जमाराशि मं केनरा बैंक में जमा की गई कुल ₹.0.31 लाख (पिछले वर्ष ₹0.29 लाख) की जमाराशि भी शामिल है ।

7. भारतीय स्टेट बैंब (पिछले वर्ष - केनरा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक) कंपनी की ओर से $20,000 तथा $1,10,000 के समतुल्य ₹.71.24 लाख के कुल मूल्य के लिए (पिछले वर्ष ₹.161.71 लाख), कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक में ₹.600.00 लाख की मियादी जमा रखी है (पिछले वर्ष ₹.20.00 लाख केनरा बैंक में तथा ₹.500.00 लाख भारतीय स्टेट बैंक में) तथापि कंपनी उपरोक्त मियादी जमा पर कार्ड दरों से ब्याज अर्जित कर रही है । फिलहाल ए.एस.-29 में यथा परिभाषित कोई "प्रावधान" नहीं है और तदनुसार उक्त ए.एस. के पैरा के अनुच्छेद 66 व 67 के तहत प्रकटन का प्रश्न नहीं उठता ।

8. के.वी.ए.टी. के तहत् ₹.20,102.00 लाख रुपये और सी.एस.टी. अधिनियम के तहत् ₹.493.00 लाख रुपये (कुल ₹.20,595.00 लाख) जिसमें 01.04.2005 से 31.07.2008 तक की अवधि के लिए दण्ड एवं ब्याज भी शामिल है, की माँग के प्रति, कम्पनी ने वाणिज्यिक कर प्राधिकार के उक्त आदेश के विरुद्ध कर्नाटक के उच्च न्यायालय में अपील की और न्यायालय की डिविज़न बेंच ने वाणिज्यिक कर विभाग की माँग का समर्थन करते हुए आदेश जारी किया । कंपनी ने ₹.250.00 लाख राशि का के वैट (KVAT) तथा ₹.662.00 लाख राशि का सी.एस.टी. (CST) कुल ₹.912.00 लाख की राशि का भुगतान "विरोध के अंतर्गत" वाणिज्य कर विभाग को किया है । जिसको निष्क्रिय परिसम्पत्तियों-दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम के तहत दिखया गया है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने कम्पनी को भविष्य में कर्नाटक उच्च न्यायालय के प्रतिवाद आदेश को कार्यान्वित करने का निदेश दिया, जिसको उसके दूसरे अंतरिम आदेश दिनांक 3.5.2010 द्वारा तदांतर रोका गया था । माननीय उच्चतम न्यायलय ने यह भी निदेश इस प्रकार दिया - "निर्धारण अधिकारी को निर्धारण कार्यवाही करने दिया जाए पर अगले आदेशों तक कोई वसूली न की जाएछ यह मामला विचाराधीन है ।

9. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 3.5.2010 के अनुसार निर्धारण अधिकारी ने अगली अवधि 01.08.2008 से 31.03.2010 के लिए कम्पनी के राजस्व का निर्धारण किया और दिनांक 19.08.2010 को ब्याज और दण्ड सहित ₹16,726.00 लाख के.वी.ए.टी. उद्ग्रहण किया है। कम्पनी ने इस निर्धारण आदेश के विरोध में कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय के सामने की डब्ल्यू.पी.सं.30308/2010 दाखिल किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार की है और यह मामला विचाराधीन है।

10. सेवा कर आयुक्त, अधिक करदाता यूनिट, बेंगलूर ने 2003-2005 के दौरान कम्पनी द्वारा निष्पादित परियोजनाओं पर निर्माण, अभिचालन और स्थापना के तहत् ₹.53.01 लाख और ₹.53.00 लाख की राशि के दण्ड के साथ, कुल मिलाकर, ₹.106.01 लाख के सेवा कर की देयता का आदेश दिया है। इस ओदश के प्रति सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क और सेवा कर अपीलीय प्राधिकारण (सी.ई.एस.टी.ए.टी.), बेंगलूर में अपील की गई थी। मामला दो बार 08.10.2010 और 07.01.2011 को न्यायालय के सामने आया और विवाद समिति (सीओ.डी.) के स्पष्टीकरण के लिए स्थगित किया गया। सी.ओ.डी 27.01.2011 को बैठक हुई और उनके पत्र सं. सी.ओ.डी./08/2011 दिनांक 07.02.2011 के अनुसार कम्पनी को सहमति दी गई कि वह न्यायालय के सामने अपील दाखित करें। दिनांक 12.01.12 के रोक आदेश सं.51/2012 के अनुसार सीईएसटीएटी ने पूर्व-विक्षेप छोड दिया है एवं बकाया समायोजित कर दिया है तथा उसकी वसूली को रोक दिया है । दिनांक 07.01.2013 के पत्र सं.V/15/एन्ट्रिक्स/16/2009-जी.एल.टी.-1 के अनुसार उपायुक्त, सेवा कर ने केन्द्रीय सेवा कर अधिनियम, 1944 के अनुच्छेद 35 सी की उप धारा 2ए के अनुसार सीईएसटीएटी द्वारा लगाये गये रोक को हटाने के लिए सूचित किया जो कि वितीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अर्न्तगत सेवा कर में लागू किया गया है एवं ₹.53.00 लाख के जुर्माना तथा ₹.53.01 पर ब्याज सहित भुगतान की मांग की है । इस मांग के विरोध में कंपनी ने दिनांक 07.01.2013 के आदेश को खत्म करने का निवेदन करते हुए माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत किया । उच्च न्यायालय

ने दिनांक 04.02.2013 के अपने आदेश में अधिकरण को अपील जल्दी से निपटाये जाने का निर्देश दिया और अधिकरण के दूसरे मामले के निपटारा की तिथि तक वसूली पर रोक लगा दी । मामला अभी अधिकरण में लंबित है ।

11. अन्तरिक्ष विभाग ने पत्र सं.बी31012/3/2011-अनु-5 दिनांक 23/02/2011 द्वारा कम्पनी को मेसर्स देवास मल्टिमीडिया प्राईवेट लिमिटेड (देवास) के साथ 28.1.2005 को किए गए करार को रद्द करने का निदेश दिया। कम्पनी ने पत्र सं. Antx/07-85(02)/2011 दिनांक 25.02.2011 के अनुसार करार तत्काल रद्द कर केन्द्रीय सरकार के नीतिगत निर्णय को सूचित किया कि एस-बैण्ड में कक्षीय स्लॉट कम्पनी को वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिए उपलब्ध न कराया जाए। केन्द्रीय सरकार ने शासन क्षमता के रूप में नीतिगत निर्णय लिया है और यह अपरिहार्य घटना है जो 23/02/2011 को हुई और अनिश्चित है और यह कम्पनी के तर्क संगत नियंत्रण से परे है। यह अपरिहार्य घटना करार की धारा 11(बी) (वी) के तहत है। कम्पनी के द्वारा करार के अनुसार उत्तरदायित्व को फिर लेने की संभावना को इस समापन के साथ निकाल दिया जाता है। कम्पनी ने इस करार के समापन पर देवास से प्राप्त आरक्षण प्रभार ₹.5,837.00 लाख को 2011-12 के दौरान वापस कर दिया है। परंतु देवास ने लौटाये हुए धन को नहीं लिया और कम्पनी को वही राशि वापस दे दी है।

देवास ने 29.06.2011 को अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कामर्स (आई.सी.सी.) के तहत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत पैरिस में करार को बरकरार रखने हेतु मध्यस्थता याचिका दर्ज की है। कम्पनी आई.सी.सी के तहत विवेचन से सहमत नहीं है और इस सूचना को दिनांक 11.7.2011 के पत्र द्वारा सूचित कर दिया है और आई.सी.सी. के साथ तदनंतर पत्राचार में इसको दोहराया भी है। कम्पनी ने करार में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार, मध्यस्थता कार्यवाही का आह्वान किया है और 30.7.2011 को देवास को नोटिस जारी की है। माननीय उच्चतम-न्यायलय में भी याचिका दर्ज की है कि करार के अनुसार देवास को मध्यस्थों की नियुक्ति का निदेश दिया जाए। कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई माध्यस्थम याचिका को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1966 के अन्य प्रावधानों के वसूली-अधिकार की छूट को, मई 10, 2013 को खारिज कर दिया । माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक मई 10, 2013 के आदेश के प्रकाश में एन्ट्रिक्स के समक्ष उपलब्ध विकल्पों पर विभाग के माध्यम से भारत के महाधिवक्ता की सलाह ली गई । भारत के महाधिवक्ता की सलाह अभी तक अपेक्षित है । इस बीच में देवास ने आई.सी.सी. अधिकरण के समक्ष हर्जाने के अपने दावे को सीमित रखने के अभिप्राय को सूचित किया है न कि करार के विशिष्ट निष्पादन के लिए ।

कम्पनी ने देवास द्वारा प्रारंभ आई.सी.सी. कार्यवाहियों के समादेशन और देवास द्वारा मध्यस्थता की प्रार्थना करार के अनुसार नहीं है, के लिए अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, बेंगलूर में भी मध्यस्थता का आवेदन और मुकदमा दाखिल किया है । अपर नगर सिविल न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष दर्ज सिविल मुकदमे में मध्यस्थता याचिका में एन्ट्रिक्स ने अपना विवाद पूरा किया (मध्यस्थता एवं समायोजन अधिनियम 1996 की धारा 9 के अन्तर्गत) । अब, इस मामले की सुनवाई जुलाई 15, 2013 को होगी ।

मध्यस्थता के अंतिम निपटान पर इसकी स्वीकृति के वर्ष के लेखाओं में समुचित लेखाविधि को अपनाया जायेगा ।

12. उपदान एवं छुट्टी नगदीकरण का प्रावधान लेखाविधि मानक (ए.एस.)-15 (संशोधित) के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किये गये हैं और उनका प्रकटीकरण निम्नानुसार है:-

क. उपदान

तालिका 1 - तुलन-पत्र में स्वीकृत की जानेवाली धन-राशि		
	समाप्त अवधि	
	31 मार्च 13	31 मार्च 12
	(₹ लाखों में)	
वित्त न प्रदान किये गये कार्यों का वर्तमान मूल्य	9.52	6.20
तुलन-पत्र में धनराशि		
देयता - चालू	0.42	0.32
देयता - दीर्घकालीन	9.10	5.88
परिसम्पत्तियाँ	0.00	0.00
निवल देयता	**9.52**	**6.20**

तालिका 2 - लाभ तथा हानि लेखा के विवरण में स्वीकृत किये जाने वाले व्यय		
	समाप्त अवधि	
	31 मार्च 13	31 मार्च 12
	(₹ लाखों में)	
चालू सेवा लागत	0.83	0.97
निर्दिष्ट लाभ कार्य पर ब्याज	0.60	0.51
वर्ष में स्वीकृत निवल वास्तविक हानि/(लाभ)	4.16	1.81
"कर्मचारी लाभ व्यय" में शामिल कुल	5.59	3.29

तालिका 3 - इस अवधि के लिये लाभ कार्यों तथा योजना परिसम्पत्तियों का समायोजन		
	समाप्त अवधि	
	31 मार्च 13	31 मार्च12
	(₹ लाखों में)	
निर्दिष्ट लाभ कार्यों में परिवर्तन		
प्रारंभिक निर्दिष्ट लाभ कार्य	**6.20**	**5.17**
चालू सेवा लागत	0.83	0.97
ब्याज लागत	0.60	0.51
वास्तविक हानि/(लाभ)	4.15	1.81
लाभ प्रदत्त	(2.26)	(2.26)
समाप्त निर्दिष्ट लाभ कार्य	**9.52**	**6.20**
परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन योजना		
योजना परिसम्पत्तियों का प्रारंभिक उचित मूल्य	**0.00**	**0.00**
नियोक्ता द्वारा योगदान	2.26	2.26
प्रदत्त लाभ	(2.26)	(2.26)
योजना परिसम्पत्तियों का अंतिम उचित मूल्य	**0.00**	**0.00**
अगले वर्ष नियोक्ता द्वारा प्रत्याशित योगदान	0.43	0.32

तालिका 4 - परिसंपत्तियों की सूचना - शून्य

तालिका 5 - अनुभवजन्य समायोजन		
	समाप्त अवधि के लिए	
	31 मार्च 13	31 मार्च 12
	(₹ लाखों में)	
निर्दिष्ट लाभ कार्य	9.52	6.20
योजना परिसंपत्तियाँ	0.00	0.00
अधिशेष (घाटा)	(9.52)	(6.20)
योजनाबद्ध देयता पर अनुभवजन्य समायोजन	2.57	1.29
योजनाबद्ध देयता पर अनुभवजन्य समायोजन	0.00	0.00

तालिका 6 - मुख्य वास्तविकता के पूर्वानुमान का सार		
मूल्यांकन दिनांक पर वित्तीय पूर्वानुमान:		
	समाप्त अवधि के लिए	
	31-मार्च-13	31-मार्च-12
छूट दर (प्र.व)	8.15%	8.70%
प्रत्याशित परिसम्पत्तियों के प्रति लाभ की दर (प्र.व)	0.00%	0.00%
वेतन वृद्धि की दर (प्र.व)	पहले पाँच वर्षों के लिए 11.00% और तदुपरांत 7%	7.00%

मूल्यांकन की तारीख को जनसांख्यिकी पूर्वानुमान

सेवा-निवृत्ति की आयु:
कंपनी के कर्मचारी साठ वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्त होते है

सेवा त्यागना:
निदर्श आयु में सेवा त्यागना के दर नीचे दर्शायी गई है:

आयु (वर्ष)	दर प्र.व.
21-30	5%
31-40	3%
41-59	2%

विकलांगता:
सेवा त्यागने के सभी कारणों में किये गये प्रावधान में, विकलांगता के कारण सेवा त्यागना, शामिल है ।

(ख) छुट्टी का नकदीकरण:
पूरित अनुपस्थिति से होनेवाले व्यय यदि ऐसे आकार, प्रकृति या घटना का होता है जिसका प्रकटीकरण लेखा विधि सं.5 या लेखाविधि सं.18 के तहत् संगत है, को छोड़कर ए.एस.15 (आर.) के पैरा 132 के अनुसार ऐसे कोई विशिष्ट प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है ।

13.पिछले अवधि के मदों (जमा एवं ऋण) का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

	विवरण	31-मार्च -2013 को समाप्त (₹ लाखों में)	31-मार्च-2012 को समाप्त (₹ लाखों में)
क.	**पिछले अवधि की मदों में जमा:**		
क.	अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता शुल्क आय (लागत का निवल)	160.81	0.00
ख.	विदेशी परामर्शिता से आय (लागत का निवल)	48.41	0.00
ग.	आंतरिक परामर्शिता से आय (लागत का निवल)	0.27	0.00
घ.	अभिगम शुल्क एवं रॉयल्टी से आय (लागत का निवल)	11.40	0.00
ङ.	निर्यात	1.12	0.00
च.	निर्यात की लागत की वापसी	–	0.00
छ.	लेखा में अधिक वेतन की पुनःप्राप्ति	0.33	0.02
ज.	बैंक प्रभारी की प्रतिपूर्ति	0.54	0.00
झ.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री की वापसी	0.05	0.00
ञ.	यात्रा व्यय की वापसी	0.03	0.00
ट.	स्थापना व्यय की वापसी	0.69	0.00
ठ.	आतिथ्य एवं मनोरंजन की वापसी	0.04	0.00
ड.	पूर्व के वर्षों में लेखाओं में दर्ज लागत एवं व्यय की वापसी	0.00	88.22
ढ.	पूर्व के वर्षों में लेखाओं में दर्ज ए.एफ.आर. की लागत (निवल)	0.00	42.24
ण.	विज्ञापन प्रभार की वापसी	0.00	0.15
त.	पूर्व के वर्षों से संबंधित विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव	0.00	0.38
थ.	पूर्व के वर्षों में लेखाओं में दर्ज परामर्शिता से आय की लागत (निवल)	0.00	3.26
क	**जोड़ [(क) से (थ)]**	**226.87**	**134.27**

	विवरण	31-मार्च -2013 को समाप्त	31-मार्च-2012 को समाप्त
		(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)
ख.	पिछले अवधि की मदों के नामे:		
i	पूर्व के वर्षों में लेखाओं में दर्ज अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता प्रभार से आय की वापसी (लागत का निवल)	61.84	31.34
ii	निर्यात की लागत	3.22	0.00
iii	अन्तरिक्ष खण्ड प्रभार की लागत	112.87	0
iv	पूर्व के वर्षों में लेखाओं में दर्ज अभिगम शुल्क से आय की वापसी (लागत का निवल)	67.67	16.06
v	आंतरिक क्रय की लागत	9.29	0.00
vi	परामर्शिता से आय की लागत	0.82	0.00
vii	परिसमापन क्षति से आय की वापसी	0.50	0.00
viii	कार्यालय व्यय	0.53	0.00
ix	यात्रा व्यय	0.66	0.00
x	अप्राप्य सेवा कर	2.04	0.00
xi	बैंक गारंटी कमीशन	0.41	0.00
xii	अप्राप्य स्रोत में कर की कटौती	0.001	0.00
xiii	संचार व्यय	0.12	0.00
xiv	पुनरुद्धर एवं अनुरक्षण - अन्य	0.28	0.00
xv	अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रभार	0.00	0.81
xvi	पूर्व के वर्षों में लेखाओं में दर्ज दण्ड ब्याज से आय की वापसी	0.00	26.98
xvii	महसूल एवं कर	0.00	28.62
xviii	यात्रा व्यय की वापसी	0.00	4.32
xix	पूर्व के वर्षों में लेखाओं में दर्ज परामर्शिता से आय की वापसी	0.00	3.96
xx	लेखाओं में दर्ज अधिक निर्यात मूल्य की वापसी	0.00	1.33
ख	**जोड [(i) से (xx)]**	**260.25**	**113.42**
	चालू वर्ष के लिए निवल नामे [ख - क]	**33.38**	**–**
	पिछले वर्ष के लिए निवल जमा [क - ख]		**20.85**

14. ए.एस.22 के तहत यथा अपेक्षित निवल आस्थगित कर परिसम्पत्तियों के प्रमुख घटकों का विवरण निम्न प्रकार है:-

	31-मार्च-2013	31-मार्च-2012
	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:		
(i) संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	1,050.52	1,014.48
(ii) उपदान के लिए प्रावधान	3.09	2.01
(iii) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	6.49	3.89
(iv) संचयित मूल्यह्रास	0.00	1.27
जोड़	**1,060.10**	**1,021.65**
आस्थगित कर देयताएँ:		
(1) संचयित मूल्यह्रास	1.04	0.00
जोड़	1.04	0.00
निवल आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ	**1,059.06**	**1,021.65**

15. लेखाविधि मानक ए.एस.-26 के अंतर्गत प्रकटीकरण

(क)	अमूर्त परिसंपत्तियों की श्रेणी	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
(ख)	अमूर्त परिसंपत्तियों की प्रकृति	क्रय किये गए कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
(ग)	उपयोग जीवंत या उपयोग की गई परिशोधन दरें	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल में लाये गये वर्ष से 5 वर्षों तक
(घ)	उपयोग की गई परिशोधन विधियाँ	सीधी रेखा विधि
(ङ.)	लायी गईर् सकल राशि	₹ 23.63 लाख
(च)	संचित परिशोधन	₹ 10.75 लाख
(छ)	अवधि के आरंभ और अंत में संचित हानियाँ	कुछ नहीं
(ज)	अवधि के आरंभ और अत में लायी गई राशि का समाधान	जैसा टिप्पणी-एच के अनुबन्ध में प्रस्तुत किया गया है।
(झ)	आंतरिक विकास एवं समामेलन द्वारा अलग-अलग दर्शाते हुए योग	₹ 16.29 लाख में क्रय किया गया सॉफ्टवेयर (अंर्तविकसित या समामेलन द्वारा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है)
(ञ)	निवृत्तियाँ एवं निपटारे	कुछ नहीं
(ट)	अवधि के दौरान लाभ-हानि विवरण में चिन्हित हानियाँ (यदि कोई हो)	कुछ नहीं
(ठ)	अवधि के दौरान लाभ-हानि विवरण में प्रतिकूल हानियाँ	कुछ नहीं
(ड)	अवधि के दौरान चिन्हित परिशोधन	₹ 5.16 लाख
(ढ)	अवधि के दौरान लायी गई राशि में अन्य परिवर्तन	कम्प्यूटरों एवं उसके संबंधित उपकरणो की लागत ₹ 3.42 लाख तथा ₹ 3.27 लाख की वर्ष 2011-12 का समारूप मूल्सहास त्रुटिपूर्ण वर्गीकृत किया गया क्योंकि कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर अवधि के अंतर्गत लायी गई राशि में ठीक किया गया है।

16. लेखा संबंधी मानक "ए.एस. 18 संबंधित पक्ष प्रकटन" के अनुसार डॉ. वी.एस. हेगडे, अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक एवं श्री एस. परमेश्वरन, कार्यकारी निदेशक, मुख्य प्रबंधन कार्मिक हैं। वर्ष के दौरान उक्त संबंधित पक्षकारों के साथ कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

17. वित्त वर्ष के दौरान लेखा-संबंधी मानक ए.एस. 28 के अनुसार परिसम्पत्तियों की हानि की कोई घटना नहीं है।

18. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को कोई धन-राशि देय नहीं है।

19. कम्पनी ने अधिकांश ग्राहकों से 31 मार्च, 2013 तक के लिए बकाया की पुष्टि करने का अनुरोध किया है तथा कुछ ग्राहकों से इस संबंध में प्रतिक्रिया भी प्राप्त हुई है।

20. कंपनी ने 2003-04 से 2010-11 की अवधि हेतु इन्सैट प्रेषानुकर लीजिंग से संबंधित अं.वि./इसरो-एन्ट्रिक्स लेखा का सामंजस्य को पूरा कर लिया है तथा अन्तरिक्ष विभाग से पुष्टिकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया में है ।

21. बही खाता के अनुसार बकाया आयकर वापसी आई.टी. विभाग के ट्रेसेस के पास उपलब्ध जमा तथा फार्म 16ए में प्राप्त टी.डी.एस. प्रमाण पत्रों के साथ सामंजस्य किया जा रहा है । जहाँ पर ऐसी कटौती आई.टी. विभाग के ट्रेसेस् में जमा के साथ-साथ फार्म 16ए में टी.डी.एस. प्रमाण-पत्रों द्वारा समर्थित नहीं है वहाँ कंपनी ने इस मामले को टी.डी.एस विवरणों के ई-फिलिंग के संशोधन हेतु अथवा हमारे लेखाओं में केन्द्रीय सरकार के खाते में उस राशि को जमा कराने के मामले को डिडक्टिस् के समक्ष उठाया है ।

22. अंकों को लाख रुपयों में निकटवर्ती रूप में पूर्णांकित किया गया तथा चालू वर्ष के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के अंकों को पुनःवर्गीकृत/पुनःव्यवस्थित किया गया है।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ज्ञानोबा व भट
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.000939S

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
(के.आर.ज्ञानोबा)	**(एस.परमेश्वरन)**	**(वी.एस.हेगडे)**
भागीदार	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं.23137		

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 26.06.2013

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 26.06.2013

नकद प्रवाह विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए	
प्रचालन कार्यरत गतिविधियों से नकद प्रवाह:				
कर से पहले निवल लाभ		25,394.63		24,482.26
निम्न के लिए समायोजन:				
मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्ययों के लिए	117.84		9.69	
उपादान हेतु प्रावधान	3.32		1.03	
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	8.03		6.27	
संदिग्धपूर्ण ऋण के लिए प्रावधान	111.05		420.81	
देयता जिसे बट्टे खाते में डालने की आवश्यकता नहीं	–		(278.91)	
वापस किया गया अतिरिक्त मूल्यह्रास	(0.43)			
		239.81		158.89
		25,634.44		24,641.15
इसके लिए समायोजन:				
स्थायी परिसम्पत्तियों के क्रय पर लाभ			0.34	
बैंक विदेशी मुद्रा लेन-देन एवं अंतरण	(133.13)		(559.00)	
बैंक से ब्याज की प्राप्ति	(9,922.93)		(9,868.69)	
एम.एफ. से प्रमुख लाभ	(1,154.65)		(577.80)	
एम.एफ. से लाभांश प्राप्तियाँ	(741.82)		(937.38)	
		(11,952.53)		(11,942.53)
कार्यरत पूँजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ		13,681.91		12,698.62
व्यापार देय वृद्धि			9,343.09	
व्यापार देय में कटौती	(5,263.59)		–	
देयताओं एवं प्रावधान में वृद्धि	24,760.11		7,840.32	
व्यापार प्राप्तियों में वृद्धि	(15,335.58)		(11,727.10)	
ऋण एवं पेशगियों में वृद्धि अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	(14,570.58)		(7,369.72)	
		(10,409.64)		(1,913.41)
प्रचालन से जनित नकद		3,272.27		10,785.21
भुगतान किया गया आय कर		(749.67)		(918.54)
स्रोत पर काटा गया कर		(10,307.90)		(8,526.80)
प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त निवल नकद		**(7,785.30)**		**1,339.87**
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह:				
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	(1,633.71)		(739.55)	
उपकरणों की बिक्री प्राप्त आय	–		(0.34)	
बैंक विदेशी मुद्रा लेन-देन एवं अंतरण	133.13		559.00	
बैंक से प्राप्त ब्याज	9,922.93		9,868.69	

एम.एफ. से पूंजीगत लाभ	1,154.65		577.80	
एम.एफ.से लाभांश प्राप्तिया	741.82		937.38	
निवेश में वृद्धि			(3,690.35)	
निवेश में कमी	4,308.32		–	
बैंक के एफ.डी. पर उपचित ब्याज में कमी	1,018.88		–	
बैंक के एफ.डी. पर उपचित ब्याज में वृद्धि	–		(3,475.09)	
निवेश संबंधी गतिविधियों से निवल नकद		15,646.02		4,037.54
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह:				
प्रदत्त लाभांश	(3,420.00)		(2,778.00)	
वितरित लाभांश का कर भुगतान	(554.81)		(461.39)	
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकद		(3,974.81)		(3,239.39)
नकद व नकद समान सम्पत्ति में निवल वृद्धि		3,885.91		2,138.04
वर्ष के आरंभ में नकद व नकद समान सम्पत्ति		98,903.51		96,765.47
वर्ष के अंत में नकद व नकद समान सम्पत्ति		1,02,789.42		98,903.51

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ज्ञानोबा व भट
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.000939S

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
(के.आर.ज्ञानोबा)
भागीदार
सदस्यता सं.23137

हस्ता/-
(एस.परमेश्वरन)
कार्यकारी निदेशक

हस्ता/-
(वी.एस.हेगडे)
अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 26.06.2013

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 26.06.2013

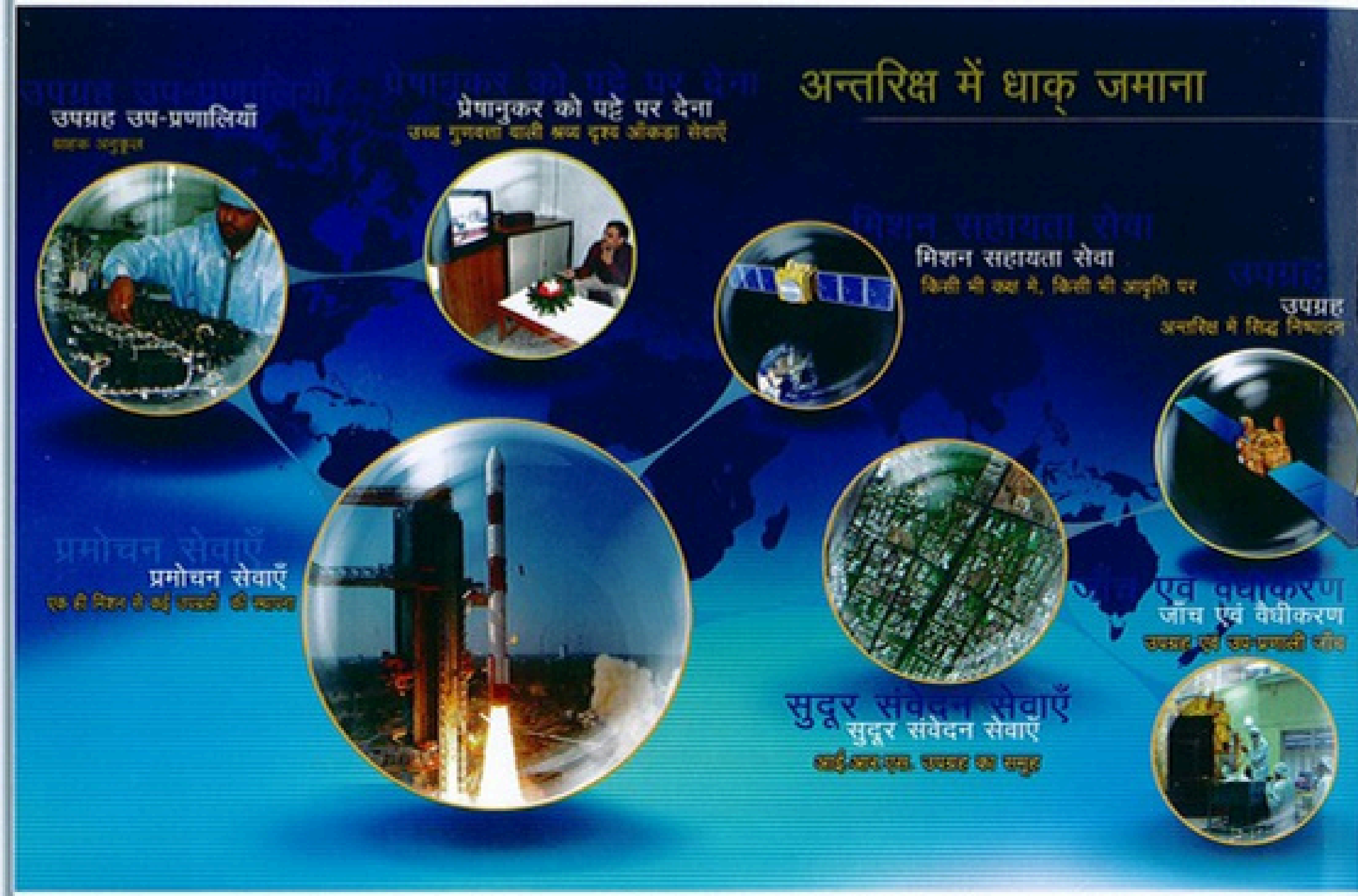

एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड

अन्तरिक्ष भवन, न्यू बीईएल रोड, बेंगलूर-560 231
दूरभाष: +91 80 2217 8302/31/11, फैक्स:+91 80 2217 8337
वेबसाईट:www.antrix.gov.in

एन्ट्रिक्स
ANTRIX

एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड